पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

मार्च 2024

नारी शक्ति विशेषांक

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ ॥
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)
राजभाषा विभाग

गणतंत्र दिवस समारोह 2024

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने गुरुग्राम स्थित अपने आंचलिक कार्यालय में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। कार्यक्रम में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यकारी निदेशक डॉ. रामजस यादव तथा अन्य उच्चाधिकारीगण उपस्थित रहे। ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया गया, गुब्बारें छोड़े गए और सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री साहा ने वर्ष 2023 के दौरान राष्ट्र में आयोजित कतिपय विशेष गतिविधियों यथा भारत द्वारा जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, विश्वकर्मा योजना की शुरुआत, चंद्रयान-3 की लैंडिंग, सौर मिशन इत्यादि पर प्रकाश डाला।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

बैंक हाउस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008

मार्च 2024

मुख्य संरक्षक

श्री स्वरूप कुमार साहा

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संरक्षक

डॉ. रामजस यादव

कार्यकारी निदेशक

श्री रवि मेहरा

कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर

महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक व प्रकाशक

श्री निखिल शर्मा

मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
श्रीमती भारती, प्रबंधक (राजभाषा)
श्री मोहन लाल, राजभाषा अधिकारी
श्री रूप कुमार, राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : ho.rajbhasha@psb.co.in
पंजीकरण संख्या : एफ.2 (25) प्रैस. 91

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपीराइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

मुद्रक : बी.एम. ऑफसेट ,
एच-37, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301
दूरभाष संख्या: 0120-4111952, 9811068514
ई-मेल : bmoffsetprinters@gmail.com

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	संपादक मंडल/विषय-सूची	1
2	आपकी कलम से	2
3	संपादकीय	3
4	भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का समीकरण	4-7
5	भारत की राजभाषा में लिपि विमर्श	8-12
6	यात्रा संस्मरण	13-15
7	हिंदी कार्यशालाएं	16-17
8	डिजिटल साक्षरता के माध्यम से बैंकों में जोखिम प्रबंधन	18-21
9	संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति का मुंबई दौरा	22-23
10	मुक्ति - कहानी	24-25
11	बेटी	26
12	उपलब्धियाँ	27
13	साइबर सुरक्षा : चुनौतियाँ एवं समाधान	28-31
14	काव्य-मंजूषा	32-33
15	क्षेत्रीय भाषा का लेख	34-37
16	मूल संथाली लेख का हिंदी अनुवाद	38-40
17	नई शाखाएं	41
18	वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था	42-44

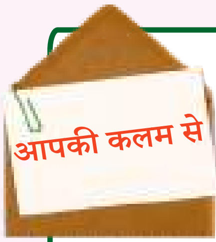

हमें आपके बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका "राजभाषा अंकुर" का दिसंबर, 2023 अंक प्राप्त हुआ। इस अंक में आपके बैंक स्तर पर राजभाषा विषयक गतिविधियों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। साथ ही, प्रासंगिक बैंकिंग विषयों पर सारगर्भित आलेख भी प्रकाशित किए गए हैं। पत्रिका के इस अंक में राजभाषा कार्यान्वयन के विविध पहलुओं और आयामों को विस्तार से रेखांकित किया गया है तथा विविध क्षेत्रों में राजभाषा के प्रसार को भी बखूबी दर्शाया गया है।

श्री सुनील अग्निहोत्री के आलेख "ग्राहक के मुख से" में ग्राहकों से बेहतर संवाद और संबंध विकसित करने के महत्त्व तथा इसके माध्यम से व्यवसाय विकास की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। श्री अमित मोहन अस्थाना के आलेख "बैंकिंग का डिजिटल रूपांतरण" में ग्राहकों का डिजिटल बैंकिंग को अपनाने के प्रति बढ़ते विश्वास और इसके माध्यम से बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य को रेखांकित किया गया है। श्री के. पी. तिवारी के आलेख "विधिक अनुवाद में आने वाली समस्याएं-हिंदी के संबंध में" में अनूदित सामग्री की बढ़ती स्वीकार्यता और विधिक अनुवाद के व्यापक क्षेत्र के बारे में प्रकाश डाला गया है।

पत्रिका के इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषांक में मानव जीवन और गतिविधियों में तकनीक के महत्व और बढ़ते प्रभाव के संबंध में उपयोगी आलेखों को चयनित कर प्रकाशित किया गया है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं को आसान और सरल भाषा में व्यक्त किया गया है। पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए पूरी संपादकीय टीम को हार्दिक बधाई एवं आगामी अंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं!

-अजय कुमार खोसला
मुख्य महाप्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा प्रधान कार्यालय

अपने बैंक की गृह पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का दिसंबर, 2023 का अंक प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम इसके लिए धन्यवाद! हमें सदैव राजभाषा अंकुर के नए अंक की प्रतीक्षा रहती है। राजभाषा हिंदी के प्रति हमारे आकर्षण एवं लगाव दोनों को यह और मजबूत करती है। राजभाषा अंकुर हर बार की तरह इस बार भी बेहद स्तरीय तथा पठनीय लगी। राजभाषा अंकुर का दिसंबर, 2023 अंक ज्ञान, रचनात्मकता तथा रोचकता की अद्भुत त्रिवेणी बन पड़ी है। श्री निखिल शर्मा का लेख 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता - परिचय एवं संभावनाएं' अति सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। श्री अमित मोहन अस्थाना का लेख – 'बैंकिंग का डिजिटल रूपांतरण' बहुत सुंदर है, समय के साथ परिवर्तन की आवश्यकता पर सारगर्भित विवेचना करता है। काव्य- मंजूषा की सभी कविताएं मानव संवेदना को गहरे स्तर पर झकझोरती है। पत्रिका की साज-सज्जा, प्रिंट बहुत आकर्षण है।

राजभाषा अंकुर का संपादक मंडल इस प्रकार के पठनीय, रोचक व ज्ञानवर्धक प्रकाशन के लिए बधाई के पात्र हैं।

-अवधेश नारायण सिंह
आंचलिक प्रबंधक दिल्ली-1

'राजभाषा अंकुर' निर्विवाद रूप से वर्तमान साहित्यिक परिकल्पनाओं का सर्वश्रेष्ठ संकलन है। "साहित्य", भाषागत विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। बैंकिंग क्षेत्र में भी भाषा का बहुत महत्व है चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो या फिर राजभाषा हिंदी। भाषा के द्वारा ही आम जन-मानस को बैंकिंग के आधारभूत ढांचे से जोड़ा जा सकता है। यह पत्रिका, वर्तमान परिदृश्य के पहलुओं को संग्रहित किए हुए है जिसके लिए संपादक मंडल के समस्त सदस्य बधाई के पात्र हैं। आशा है कि इस पत्रिका रूपी धारा का प्रवाह इसी प्रकार निर्बाध बहता रहे।

-सुनील कुमार
आंचलिक प्रबंधक बठिंडा

हिंदी पत्रिका पी.एण्ड एस. बैंक 'राजभाषा अंकुर' का दिसंबर, 2023 अंक प्राप्त हुआ। राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न विधाओं की रचनाओं को सम्मिलित करना एक सराहनीय कदम है और हमें यकीन है कि यह और भी उन्नति की ओर बढ़ेगी।

पत्रिका बेहद ही रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक है। पत्रिका में जहाँ एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमता की बात कही गयी तो वहीं दूसरी तरफ यह बैंकिंग का डिजिटल रूपांतरण, भविष्य की बैंकिंग जैसे विषयों को भी समेटती है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव दर्शन, जनमनमयी सुभद्रा जैसे लेख के साथ-साथ काव्य की मधुर मंजूषा भी उल्लेखनीय है। किसी पत्रिका के अंदर इतना कुछ समेटना निश्चित तौर पर सराहनीय है।

-मलकीत सिंह
आंचलिक प्रबंधक पटियाला

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

जब तक पत्रिका का यह अंक आपको प्राप्त होगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो चुका होगा। वर्ष के दौरान हम सभी अपने व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यथासंभव प्रयत्न करते हैं, इसके अतिरिक्त वर्षांत होते ही समेकन कार्य भी संपन्न कराना होता है। कुशल नेतृत्व में बैंक कार्मिकों के लगातार किए गए अथक परिश्रम का ही परिणाम रहा है कि बैंक, विगत दो वर्षों से निरंतर लाभार्जन की स्थिति में है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़कर 1564 हो गई है और इसमें प्रगति जारी है। शीर्ष प्रबंधन ने आगामी वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में शाखा विस्तार और ग्राहकोन्मुख उत्पादों के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, बैंक के प्रत्येक कार्मिक को उनके साथ कदमताल के लिए तैयार रहना होगा।

भारत, विश्व के उन देशों में से है जहाँ प्राचीन काल से ही लोकतंत्र स्थापित है। 1950 में संविधान लागू होने से देश में लोकतंत्र का एक नया अध्याय शुरु हुआ। चूंकि संविधान में लैंगिग समानता पर विशेष बल दिया गया था इसलिए देश में प्रत्येक वयस्क नागरिक को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है। इस वर्ष भारत लोकतंत्र का महोत्सव मना रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 देश का18वाँ आम चुनाव है। इस लोकसभा चुनावों में मतदान करने के लिए 96.88 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं जो विश्व का सबसे बड़ा मतदाता समूह है। मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त हमारी आवाज़, सहभागी लोकतंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। मतदाता के अतिरिक्त हमारे बैंक साथियों पर चुनाव संपन्न कराने का भी अतिरिक्त दायित्व होता है। वित्तीय समावेशन के साथ-साथ लोकतंत्र में समावेशी भागीदारी सुनिश्चित कराने में भी बैंकिंग जगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सजग नागरिक के रूप में हमारा यह दायित्व बनता है कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी करें।

पत्रिका के इस "***नारी शक्ति विशेषांक***" में प्राथमिक रूप से उन रचनाओं को प्रकाशित किया गया है जो या तो हमारी महिला शक्ति को समर्पित हैं या बैंक के महिला कार्मिकों द्वारा लिखे गए हैं। बैंक ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस का आयोजन अपने गुरुग्राम स्थित आंचलिक कार्यालय में किया, जिसकी झलक आपको पत्रिका में देखने को मिलेगी। क्षेत्रीय भाषा की रचना के क्रम में संथाली भाषा के लेख को उसके हिंदी अनुवाद सहित लिया गया है। आशा है पत्रिका का यह अंक आपको रुचिकर लगेगा।

शुभकामनाओं सहित!

(गजराज देवी सिंह ठाकुर)
महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का समीकरण

देवेन्द्र कुमार

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की अपनी सभ्यता व संस्कृति है जिस पर देश का प्रत्येक नागरिक गर्व महसूस कर सकता है। अपनी विविधता के अनुरूप देश की लोक संस्कृतियों में सहजीविता का भाव निरंतर प्रवाहमान है। देश के अलग-अलग राज्यों यहां तक कि एक ही राज्य के भीतर संभागों की भाषाओं और पर्व-त्यौहार में अनूठी विविधता नज़र आती है। सांस्कृतिक विविधताओं के अनुरूप 32,87,263 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत भू-भाग में बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग और बहुदलीय व्यवस्था का चलन है जिसमें बहुमत से निर्णय लेने की शक्ति होती हैं। आज़ादी के बाद से भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी बहुआयामी ही रही है। लगभग समस्त क्षेत्रों में विविधता होने के उपरांत भी भारतीय लोकतंत्र को बहुरंगी या विविधतापूर्ण बनाने के लिए इसमें महिलाओं की भागीदारी अपेक्षानुरूप नहीं है। वर्ष 1950 में अपनाए गए संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया और यह लोकतंत्र तब से कायम है।

समाज के प्रत्येक क्षेत्र यथा कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान इत्यादि को उन्नत व पूर्ण बनाने में प्रत्यक्ष और गौण रूप में महिलाओं की भूमिका न्यूनतम 50 प्रतिशत कही जा सकती है। स्वामी विवेकानन्द का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति उसकी प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है। उनकी इस प्रगति की परिभाषा में निःसंदेह महिलाओं की राजनैतिक प्रगति भी रही होगी। जिस प्रकार किसी परिवार का निर्माण बिना महिला के संभव नहीं है, विस्तृत रूप में महिलाओं की भागीदारी के बिना लोकतंत्र का भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुचना संदेहास्पद है। यह भागीदारी मतदान, प्रत्याशी अथवा निर्णयन इत्यादि रूप में हो सकती है। महिलाओं की इसी भूमिका के मद्देनज़र स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत में महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान, व्यवसाय एवं प्रशासन के क्षेत्र में जिस अनुपात में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, राजनीति में उसी तरह आगे नहीं आई, यद्यपि कुछ अन्य उन्नत देशों की तुलना में इस क्षेत्र में भारत की स्थिति अच्छी है। लोकतंत्र एक विस्तृत संकल्पना है जिसके अंतर्गत नीति निर्माण की प्रक्रिया में समस्त नागरिकों को समान रूप से भागीदार का अवसर प्राप्त होता है। प्राचीन भारतीय समाज में भी महिलाओं की स्थिति महत्वपूर्ण रही है लेकिन समय-समय में विशेषकर बाह्य आक्रांताओं के प्रवेश या उनके अधिपत्य स्थापित होने पर महिलाओं की स्थिति में उतार-चढ़ाव आते रहे तथा उनके अधिकारों और भूमिकाओं को भी इन कारकों ने प्रभावित किया।

आधुनिक भारत की बात करें तो सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में सामाजिक-सुधार तथा राजनीतिक-चेतना की मिली-जुली प्रवृति समानांतर रूप से आगे बढ़ी। सामाजिक संस्थाएं, महिलाओं में राजनीतिक जागृति लाने में सहायक रहे हैं किंतु तब तक महिलाओं को राजनीति में सीधे प्रवेश नहीं मिला था। राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का वास्तविक पदार्पण बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जा सकता है। बीसवीं सदी के प्रथम दशक में स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और दूसरे दशक में वे राजनीतिक मंच पर उतरीं। वर्ष 1913 में श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनीं। इसके पश्चात 1917 में श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में प्रमुख महिलाओं का एक शिष्टमंडल, स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार प्रदान करने की मांग के संबंध में श्री मांटेग्यू और वायसराय लार्ड से मिला। यद्यपि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस समय भारतीय स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्रदान नहीं किया किंतु प्रांतीय विधानसभाओं को यह अधिकार दे दिया गया कि वे इस मामले पर विचार कर सकती हैं। परिणामस्वरूप महिलाओं को चुनाव लड़ने और सीमित रूप में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। सन 1919 में सर्वप्रथम मद्रास विधान परिषद ने महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया। इसके बाद वर्ष 1926 में तत्कालीन भारत सरकार ने एक और कदम उठाया तथा महिलाओं को प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। पहली बार श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय दक्षिण कनारा क्षेत्र से चुनाव लड़ीं, उस समय वह 4976 वोटों के मुकाबले में 4461 मत प्राप्त कर

चुनाव हार गई लेकिन हार का अंतर कम होने के फलस्वरूप इसे महिलाओं की नैतिक विजय माना गया। मद्रास सरकार पर दवाब पड़ा, मनोनयन के आधार पर डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी को पहली महिला विधायक के रूप में चुना गया और फिर वे विधान सभा की उपाध्यक्ष भी चुन ली गई।

'नमक सत्याग्रह' के समय गाँधी जी के आह्वान पर स्त्रियों नें हजारों की संख्या में आंदोलन में भाग लिया। गाँधी जी की गिरफ्तारी पर सरोजनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, रूक्मिणी लक्ष्मीपति ने सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला। सन 1930 के इस आंदोलन में 17 हजार महिलाएं गिरफ्तार हुई थी। डॉ. मुथुलक्ष्मी ने मद्रास विधानसभा की सदस्यता से और कमलाबाई लक्ष्मण राव एवं हंसा मेहता ने अवैतनिक न्यायाधीशों के पदों से त्यागपत्र देकर अपना विरोध प्रकट किया। इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका आगे भी जारी रही तथा 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कई महान भारतीय महिलाओं का भारत के प्रति अटूट समर्पण किसी परिचय का मोहताज़ नहीं है। सन 1936 में 6 प्रांतों में कॉंग्रेस मंत्रिमंडल बना। कुल 80 महिलाएं विधानसभाओं में चुनकर गई थी। मंत्री और उपाध्यक्ष का पद भी महिलाओं को मिला। संविधान निर्माण में भी लीला रे, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हँसता मेहता, दुर्गाबाई, सुचेता कृपलानी, रेणुका रे, कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी की भागीदारी उल्लेखनीय रही, फलस्वरूप भारत के संविधान में स्त्री-पुरूषों को समान अधिकार का आश्वासन दिया गया।

संविधान को अंगीकृत करने से भारत की महिलाओं के लिए समानता के एक नए युग की शुरुआत हुई। भारतीय संविधान में महिलाओं को समकक्ष करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। देश का संविधान न केवल महिलाओं को समान राजनीतिक छवि प्रदान करता है बल्कि यह उनके पक्ष में 'सकारात्मक भेदभाव' की भी अनुमति देता है, अनुच्छेद 15 (3) के अनुसार कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 के अनुसार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 39 (क) इस बात से संबंधित है कि राज्यों को पुरुषों और महिलाओं दोनों को आजीविका के पर्याप्त साधन देने के लिए नीति बनानी चाहिए तथा अनुच्छेद 39 (घ) पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता का उल्लेख है, अनुच्छेद 51 (क) (ङ) महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्यागने के लिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संदर्भित करता है। संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और कहीं न कहीं स्वतंत्रता आंदोलन व संविधान निर्माण में महिलाओं की सक्रीय भूमिका ने महिलाओं को देश में लैंगिक समानता व अवसर प्रदान किए। सार्वभौमिक मताधिकार से पूर्व प्रांतीय विधायिकाओं ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला राज्य मद्रास था लेकिन केवल उन पुरुषों और महिलाओं को जिनके पास ब्रिटिश प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार भूमि संपत्ति थी। इसने अधिकांश भारतीय महिलाओं और पुरुषों को उनकी गरीबी के कारण मतदान से वंचित कर दिया। ब्रिटेन से भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में 1950 में आधिकारिक तौर पर महिलाओं और पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। भारत ने 1952 में संविधान के तहत अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया, इस निर्वाचन वर्ष में कुल मतदान प्रतिशत 45.67 रहा।

द्वितीय लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी की दर 46.63% और पुरुष मतदाताओं की 63.31% थी। 1984 में आठवीं लोकसभा चुनाव तक महिला व पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 58.60 व 68.18 हो गया। 1984 तक भारत में पुरुष व महिला मतदाताओं का अंतर घटकर 10 प्रतिशत से कम रह गया। पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले 3.25 करोड़ कम महिला मतदाता रहे। 2014 के आम चुनावों में महिलाएं, पुरुषों से थोड़ा पीछे रहीं और पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने 1.36 प्रतिशत कम मतदान किया। वर्ष 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में 67.18 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि पुरुष इस मामले में महिलाओं से पीछे रहे और 67.01 प्रतिशत पुरुषों ने मताधिकार का प्रयोग किया। भारतीय निर्वाचन के इतिहास में लोकसभा निर्वाचन, 2019 में पहली बार 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला मतदान प्रतिशत, पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा।

हाल ही के दशक में भारतीय लोकतंत्र में महिला मतदाताओं ने केवल अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं कराई है वरन निर्णायक भूमिका में रही हैं। राजनीतिक दलों के लिए अपनी योजनाओं में महिला केंद्रित मुद्दों को शामिल करना मतदाताओं के रूप में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की

ओर इशारा करती है लेकिन यह समझना आवश्यक है कि मतदान के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार ही लोकतंत्र की पराकाष्ठा नहीं है।

'राजनीतिक भागीदारी' शब्द केवल मतदान के अधिकार से संबंधित नहीं है बल्कि राजनीतिक चेतना, निर्वाचित प्रतिनिधि तथा निर्णयन में भागीदारी से भी संबंधित है। लोकतंत्र में महिलाओं को उस स्तर तक सक्षम करना चाहिए जहाँ वे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी हो। इसमें पुरुषों की भूमिका उनका उद्धार करने वाले की न होकर उनका सहयोगी बनने की होनी चाहिए।

प्रथम लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 22 थी जो कुल संख्या का 4.41 प्रतिशत थी। दूसरी लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर 27 हो गई जबकि सीटों की कुल संख्या 500 थी। इस प्रकार प्रथम लोकसभा के मुकाबले द्वितीय लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग एक प्रतिशत बढ़ गया। तीसरी और चौथी लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या क्रमशः 34 व 31 थी जो कुल संख्या का 6.76% व 5.93% था। पांचवी लोकसभा के कुल 521 सदस्यों में 22 और छठी लोकसभा के कुल 544 सदस्यों में 19 महिला प्रतिनिधि थीं। सातवीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या विगत लोकसभा के मुकाबले लगभग 2 प्रतिशत बढ़कर 28 हो गई। आठवें लोकसभा चुनाव (1985) में महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व में उत्साहजनक बढोतरी हुई और उनकी संख्या 44 हो गई जो कि कुल सदस्यों का 8.09 प्रतिशत था। नौंवी लोकसभा का दौर भारतीय राजनीति में अस्थिरता का दौर था, इसका प्रभाव लोकतंत्र में महिला प्रतिनिधित्व पर भी पड़ा। वर्ष 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में केवल 28 महिलाएं ही लोकसभा पहुंचने में सफल हुईं। इसके पश्चात संपन्न सभी लोकसभा चुनाव (चौदहवीं लोकसभा के अतिरिक्त) में विजयी महिला उम्मीदवारों की संख्या में क्रमिक बढ़ोतरी हुई। 2009 में संपन्न लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 50 पार कर गई। वर्ष 2009 में कुल 545 सांसदों में से 60 सांसद महिला थीं। इस वर्ष एक और कीर्तिमान भी स्थापित हुआ, पंद्रहवीं लोकसभा में श्रीमती मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष चुनीं गई। महिला प्रतिनिधियों के लोकसभा अध्यक्ष बनने का क्रम सोलहवीं लोकसभा में भी जारी रहा, सोलहवीं लोकसभा में अध्यक्षीय कर्तव्य की भूमिका श्रीमती सुमित्रा महाजन को सौंपी गई। सत्रहवीं लोकसभा में 78 महिला प्रतिनिधियों थी ने अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए खड़े कुल 8026 उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों की संख्या 10% से भी कम थी परंतु संसद में जीतकर पहुंचने वाली महिलाओं का 14.39% रहा ।

भारत में जब महिलाएं लोकतंत्र का हिस्सा बनीं तब वे केवल प्रतिनिधि ही नहीं रहीं बल्कि उन्होंने अनेक मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय मंत्रिमंडल में श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर को प्रथम महिला प्रधानमंत्री सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। श्रीमती इंदिरा गाँधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, इससे पूर्व ही उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्यभार मिला हुआ था। इसी क्रम में डॉ. सत्यवाणी मुत्तु, श्रीमती शीला कौल, श्रीमती मोहसिना किदवई, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, श्रीमती सुमति उरांव, सुश्री ममता बनर्जी, डॉ. गिरिजा ब्यास, कुमारी शैलेजा, श्रीमती जयंती नटराजन, श्रीमती वसुंधरा राजे, सुश्री उमा भारती, श्रीमती अंबिका सोनी, श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच तथा श्रीमती निर्मला सीतारामन का नाम उल्लेखनीय है। इतना ही नहीं चौथी, पांचवी और सातवीं लोकसभा में सदन की नेता महिला ही रही। यह तथ्य भी रेखांकित करने योग्य है कि तेरहवीं लोकसभा तथा पंद्रहवीं लोकसभा में महिला सांसद नेता प्रतिपक्ष रहीं है।

संसद के उच्च सदन की बात करें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कम ही रहा है। वर्ष 1952 में गठित होने वाले राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी जो कुल सदस्य का 6.94 प्रतिशत था। विगत कुछ दशकों में राज्यसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में इजाफा अवश्य हुआ है लेकिन यह अपेक्षानुरूप नहीं है। वर्ष 2019 तक राज्यसभा में 10.83 प्रतिशत अर्थात 26 महिलाएं विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहीं थी। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कभी भी 12.76 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है। सदस्य के अतिरिक्त राज्यसभा में श्रीमती वाइलेट अल्वा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तथा श्रीमती नज्मा हेपतुल्ला उपसभापति रह चुकी हैं। राज्य विधानसभाओं की बात करें तो वहाँ कुल सदस्यों में महिलाओं की भागीदारी औसतन 9 प्रतिशत ही है।

महिलाओं की चुनावी भागीदारी को बढ़ाने वाले फैसले आसानी से नहीं हुए। सन 1988 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में सभी निर्वाचित निकायों में 30 प्रतिशत कोटा शुरू करने की मांग की गई। इसका नतीजा 1993 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को अपनाने के लिए राष्ट्रीय सर्वसम्मति के रूप में निकला जिसने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को अंततः मंज़ूरी दी।

73वें और 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्तर के निकायों अर्थात पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कीं। यह वास्तव में, जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के लिए एतिहासिक शुरुआत थी। इन स्थानीय निकायों के चुनावों में हर पाँच साल में दस लाख से अधिक महिलाएं चुनी जाती है। स्थानीय निकायों में आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक रूप से स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को रेखांकित किया जा सकता है।

महिला आरक्षण की स्थापना के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 4-5% से बढ़कर 25-40% हो गई और लाखों महिलाओं को स्थानीय सरकार में नेताओं के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। कुछ राज्य ने 73वें संशोधन से पहले आरक्षण की स्थापना की थी। राज्यों के शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो अब तक स्वतंत्रत भारत में लगभग 12 महिलाएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। जहाँ त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर महिलाएं कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आयी हैं वहीं इससे ग्रामीण विकास को भी नया आयाम मिला है। यहाँ का अनुभव महिलाओं को विधानसभा या लोकसभा में जाने के लिए तैयार कर सकेगा। आज स्थानीय स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा समूह उभर चुका है, जो सरपंच और स्थानीय निकायों के सदस्य के रूप में स्थानीय स्तर के शासन का तीन दशक से अधिक समय का अनुभव रखता है।

महिला आरक्षण के संदर्भ में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल महत्वपूर्ण रहा। हाल ही में 128वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 330A, 332A, 239AA, 334A जोड़े गए हैं। यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षित करता है। विधेयक लागू होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशन पश्चात यह आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाना है। लोकतंत्र में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी न होने के पीछे पुरुष और महिला दोनों में राजनीतिक शिक्षा का अभाव है। शैक्षिक संस्थानों में प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा नेतृत्व के अवसर पैदा करती है और नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। महिलाओं को विधायिका की कार्य-प्रणाली तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका तक उसके प्रभाव से अवगत कराया जाए। इस प्रकार के प्रयास लोकतंत्र के नीचले पायदान से प्रारंभ किए जाएं। वहीं दूसरी ओर पुरुष वर्ग को भी राजनीतिक संतुलन की आवश्यकता से अवगत कराना चाहिए ताकि वे मानसिक रूप से इस बात को मानने के लिए तैयार रहें कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सभी वर्गों का लोकतंत्र में समुचित प्रतिनिधित्व आवश्यक है। पुरुष वर्ग के साथ-साथ महिला वर्ग में भी यह विश्वास जागृत करना होगा कि महिलाएं स्वयं अपने उत्थान के लिए सक्षम है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का स्तर और रूप काफी हद तक हिंसा, भेदभाव और अशिक्षा के रूप में सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं से निर्धारित होता है। राज्य, परिवार और समुदाय के स्तर पर यह महत्त्वपूर्ण है कि वे महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा शिक्षा अंतराल को कम करने, लिंग भूमिकाओं पर पुनर्विचार करने, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने के प्रति सजग होने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। महिलाएं घरेलू और सामुदायिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल होती हैं और इसलिए आम लोगों के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। युवा भारतीय महिलाएं, शायद आज किसी भी अन्य समूह से कहीं अधिक, आकांक्षी भारत का प्रतीक हैं।

विधायिका में सभी वर्ग, समुदाय, लिंग और क्षेत्र का बहुरंगी प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक निर्णयन ही लोकतंत्र को अर्थ प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि भारत की बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जड़वत है अपितु इसमें समय के साथ-साथ परिवर्तन भी हुआ है। लोकतंत्र के प्रत्याशियों में स्त्री-पुरुष का समीकरण देश के बहुआयामी विकास में सहायक रहेगा। कुछ दशक पहले तक भारतीय समाज के संयुक्त परिवार में जहाँ गृहस्थी का दायित्व महिलाओं पर होता था, संसाधनों का विभाजन शांतिपूर्ण और दूरगामी रहा। महिला विचारधारा में समरूप न्याय का सिद्धांत नैसर्गिक रूप से विद्यमान होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संसद के द्वारा ही नियम, कानून बनाने का अधिकार होता है और वहीं से न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है इसलिए यह आवश्यक है कि संसद में महिलाओं का न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देश के नीति निर्धारकों में महिलाओं का होना इसकी लोकतांत्रिक मूल्य को और पुष्ट करेगा। पुरुष प्रधान समाज की यह स्वीकारोक्ति कि सामाजिक जीवन में महिलाओं का अतुलनीय योगदान है, देश को नई दिशा प्रदान कर सकता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ-साथ विधायिका में भी महिलाओं की भागीदारी भारतीय लोकतंत्र के संतुलित समीकरण के लिए अपरिहार्य है।

-वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग

भारत की राजभाषा हिंदी में लिपि विमर्श

'ध्वनि' और 'वर्ण' उत्पत्ति

यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी

ध्वनि' और **'वर्ण'** दो अलग-अलग अवधारणाओं का एकीकरण ही भाषा की संरचना है। 'ध्वनि' भाषा की मौखिक (उच्चारित) रूप की और 'वर्ण' भाषा के लिखित रूप की लघुतम इकाई है। ध्वनियाँ मुख से बोली जाती हैं तथा कानों से सुनी जाती हैं जबकि 'वर्ण' हाथ से कलम द्वारा (या यंत्र से) लिखे जाते हैं तथा आँखों से देखकर पढ़े जाते हैं। ध्वनि तथा वर्ण भाषा की अभिव्यक्ति के दो अलग-अलग साधन और दोनों की अलग-अलग व्यवस्थायें होकर भी हिंदी के लगभग सभी व्याकरणों में इनका विवेचन एक साथ किया जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अपने 'हिंदी व्याकरण' की प्रस्तावना में वर्ण का परिचय देते हुए लिखते हैं- 'लिखी हुई भाषा में शब्द की एक-एक मूल ध्वनि को पहचानने के लिए एक-एक चिह्न नियत कर लिया जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं, जिसके खंड नहीं हो सकते। ध्वनि कानों का विषय है, पर वर्ण आँखों का और ध्वनि का प्रतिनिधि है।'

हिंदी में जो हम ध्वनि के साथ बोलते हैं, वही लिखते भी हैं। उदाहरण जो हम बोलते हैं, वह भी 'क' है तथा जो लिखते हैं वह भी 'क' है। इसे हम रोमन वर्ण तथा अंग्रेजी की ध्वनि के माध्यम से समझ सकते हैं। अंग्रेजी की एक ध्वनि है 'क'। 'क' ध्वनि को लिखने के लिए जिस वर्ण का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है 'के'(K)। यानी कि ध्वनि और वर्ण के नाम एक नहीं, ध्वनि का नाम 'क' तथा वर्ण का नाम 'के'।

हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग चिह्नों के प्रयोग के साथ सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा बन जाती है। इसमें लेखन और उच्चारण में बहुत अधिक शुद्धता और समानता मौजूद है। बीसवीं सदी में जब हिंदी ने यूरोपीय और अरबी-फारसी भाषाओं से शब्द अपनाए तो इसके लिए नए चिह्न भी ग्रहण किए। जैसे 'डॉक्टर' शब्द अंग्रेज़ी से आया है, इसका पहला स्वर है- 'ऑ'। चूंकि हिंदी में यह स्वर उपलब्ध नहीं था, यहाँ 'आ' तो था ; 'ऑ' नहीं था, इसलिए हिंदी में अंग्रेज़ी से आए ऐसे शब्दों के उच्चारण के लिए 'ऑ' चिह्न को अपना लिया गया। इसी प्रकार अरबी-फारसी के कुछ शब्दों के सटीक उच्चारण के लिए हिंदी ने पाँच नई ध्वनियाँ अपनाई-क़, ख़, ग़, ज़, फ़। जाहिर है, इससे हिंदी की शब्द-सम्पदा तो बढ़ी ही, इसमें भावों को और अधिक सूक्ष्मता तथा स्पष्टता से अभिव्यक्त करने की शक्ति भी आई।

हिंदी की ध्वनियाँ

स्वर : अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ऌ, ल, ए, ऐ, आ, औ, अं, अ: (16)

व्यंजन :	क, ख, ग, घ, ङ	
	च, छ, ज, झ, ञ्	**(वर्गीय ध्वनियाँ)**
	ट, ठ, ड, ढ, ण	**स्पर्श**
	त, थ, द, ध, न	
	प, फ, ब, भ, म	
	य, र, ल, व	**अंतस्थ**
	श, ष, स, ह	**ऊष्म**
	क्ष, त्र, ज्ञ	**संयुक्ताक्षर**

कंठ्य ध्वनियाँ : इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण कण्ठ से होता है। इस वर्ग की ध्वनियाँ हैं- अ, आ (स्वर); क, ख, ग, घ, ङ (व्यंजन)।

तालव्य ध्वनियाँ : जिस ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है, उन्हें तालव्य कहते हैं। इ, ई (स्वर); च, छ, ज, झ, ञ, श, य (व्यंजन)।

मूर्द्धन्य ध्वनियाँ : इसके अन्तर्गत वे ध्वनियाँ रखी गई हैं, जिनका उच्चारण मुर्द्धा से होता है। जैसे- ट, ठ, ड, ढ़, ण, ष (सभी व्यंजन ध्वनियाँ)।

दन्त्य ध्वनियाँ : त, थ, द, ध, न, र, ल, स, क्ष (सभी व्यंजन ध्वनियाँ)।

ओष्ठ्य ध्वनियाँ : जो ध्वनियाँ दोनों होंठों के स्पर्श से उत्पन्न होती है, उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं।

हिंदी में प, फ, ब, भ, म ध्वनियाँ ओष्ठ्य हैं।

अनुनासिक ध्वनियाँ : इन ध्वनियों का उच्चारण मुँह और नाक दोनों के सहयोग से होता है। इनके उच्चारण के दौरान कुछ वायु नाक से निकलते हुए एक अनुगूंज-सी पैदा करती है। हिंदी की व्यंजन ध्वनियों का प्रत्येक वर्ग पाँच वर्णों है, जो एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं, जैसे-

क, ख, ग, घ, ङ	या
च, छ, ज, झ, ञ	या
ट, ठ, ड, ढ, ण	या
त, थ, द, ध, न	अथवा
प, फ, ब, भ, म।	

इनके प्रत्येक वर्ग की अंतिम ध्वनि अर्थात ङ, ञ, ण, न और म अनुनासिक ध्वनि है। देवनागरी लिपि में अनुनासिकता को चन्द्रबिंदु (ँ) द्वारा व्यक्त किया जाता है किन्तु जब स्वर के ऊपर मात्रा हो तो चन्द्रबिन्दु के स्थान पर केवल बिंदु (ं) लगाया जाता है, जैसे – अं, ऊं,ऐं, ओं आदि। अनुस्वार भी इसी के अंतर्गत आते हैं।

दन्त्योष्ठ्य ध्वनियाँ : जिन व्यंजनों का उच्चारण दन्त और ओष्ठ की सहायता से होता है, उन्हें दन्त्योष्ठ्य व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे–फ, व।

कंठ-तालव्य ध्वनियाँ : इसमें वे दो स्वर ध्वनियाँ आती हैं, जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है। जैसे- ए और ऐ।

कंठोष्ठ्य ध्वनियाँ : इन ध्वनियों का जन्म कंठ और ओष्ठों के सहयोग से होता है; जैसे ओ और औ।

जिह्वामूलक ध्वनियाँ : अरबी-फारसी से हिंदी में अपनाई गई तीन ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा के बिलकुल पीछे के भाग (मूल) से होता है। ये हैं- क़, ख़ और ग़।

वर्त्स्य ध्वनियाँ : इसके अन्तर्गत अरबी-फारसी की ज़ और फ़ की ध्वनि आती है।

काकल्य : जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुखगुहा खुली रहती है और वायु बन्द कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकल पड़ती है उसे काकल्य व्यंजन ध्वनियाँ कहते है। जैसे हिंदी में 'ह'। यह ध्वनि हिंदी में स्वरों की तरह ही बिना किसी अवरोध के उच्चरित होती है। हिंदी में 'ह' महाप्राण अघोष ध्वनि है।

क्ष, त्र, ज्ञ, श्र: हिंदी व्याकरण की किताबों में **क्ष, त्र, ज्ञ** ये तीन व्यंजन वर्ण वर्णमाला के अन्त में अनिवार्य रूप से दिए गए होते हैं। कुछ व्याकरण लेखक इनके साथ श्र को भी जोड़ देते हैं। इन चार वर्णों पर विचार होना चाहिए। व्याकरण की किताबों में इन वर्णों को संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इनमें दो यानी क्ष तथा ज्ञ एकल (सिंगल या सिंपल) वर्ण हैं तथा बाकी के दो यानी त्र तथा श्र संयुक्त वर्ण हैं।

संयुक्त वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो दो वर्णों की आकृतियों के अंशों को लेकर बने होते हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र आकृति नहीं होती। त्र संयुक्त वर्ण त तथा र वर्णों की आकृतियों के अंशों को लेकर बना है। श्र संयुक्त वर्ण श तथा र की आकृतियों के अंशों को लेकर बना है। परंतु क्ष तथा ज्ञ वर्णों में किन्ही दो व्यंजन वर्णों की आकृतियों के अंश नहीं हैं। इसलिए ये एकल वर्ण हैं। आप कहेंगे - क्ष में क तथा ष वर्ण हैं। ज्ञ में ज तथा ञ वर्ण हैं। ऐसा नहीं है। यही तो समझना है। यह कठिनाई/उलझन ध्वनि तथा वर्ण को एक मान लेने के कारण है। ध्वनि तथा वर्ण दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है।

त्र तथा श्र संयुक्त व्यंजन ध्वनि तथा संयुक्त व्यंजन वर्ण दोनों हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण के रूप में त्र में त तथा र दोनों वर्णों की आकृतियों के अंश हैं तथा संयुक्त व्यंजन ध्वनि के रूप में त्र में त तथ र दोनों व्यंजन ध्वनियों का एक साथ उच्चारण होता है। ऐसा ही श्र के संबंध में भी समझना चाहिए। परंतु क्ष तथ ज्ञ में दो व्यंजन वर्णों की आकृतियों के अंश नहीं हैं। ये एकल वर्ण हैं अर्थात ये दोनों संयुक्त व्यंजन ध्वनियां हैं, परंतु संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं हैं। इन दोनों एकल वर्णों का उच्चारण संयुक्त व्यंजन के रूप में होता है। जैसे अंग्रेजी में (x) एक यानी सिंगल वर्ण है। परंतु इसका उच्चारण संयुक्त व्यंजन (क्स) के रूप में होता है। वर्णमाला के सभी वर्ण एकल (सिंगल) वर्ण होते हैं। इसलिए त्र तथा श्र वर्णमाला में नहीं रखे जा सकते। अगर ऐसा होने लगे तो सभी संयुक्त वर्ण वर्णमाला में आ जाएंगे। त्र तथा श्र यदि वर्णमाला में आएँगे, तो द्र, प्र, म्र स्र आदि क्यों नहीं?

यही 51 वर्णों की वर्णमाला है। यहाँ अंतकाल 'ह' रूप से उच्चरित होता है तथा अन्तिम 'क्ष' माला का सुमेरु है। यह 51 वर्णों की वर्णमाला भारत के बीजाक्षर हैं। पौराणिक उल्लेख के अनुसार, माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल नाम के स्थान, जिसे अद्यतन हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवी-देवताओं को बुलाया गया लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती को जब यह जानकारी मिली तब पति को यज्ञ में आमंत्रित न करने का जवाब जानने के लिए वो पिता दक्ष के पास पहुँची। माता सती ने अपने पिता से जब यह सवाल किया तो उन्होंने भगवान शिव के लिए अपशब्द कह, उनका अपमान किया। माता सती अपमान से क्षुब्ध होकर उसी यज्ञ के अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जानकारी मिलने पर वो क्रोधित हो उठे और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। वह तांडव नृत्य करते उस स्थान पर गए जहाँ माता सती का शरीर था। उन्होंने माता सती का शरीर उठाया और कंधे पर रखकर तांडव करते हुए कैलाश की ओर रुख किया। पृथ्वी पर बढ़ते प्रलय का खतरा देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र चला कर माता सती के शरीर को खंड-खंड कर दिया। माता सती के शरीर के अलग-अलग हिस्से पृथक टुकड़ों में अलग-अलग स्थनों पर गिरे। ऐसा 51 बार हुआ, और जहाँ जहाँ एक टुकड़ा गिरा, वहाँ - वहाँ एक मंदिर, एक तीर्थ बना, वह स्थान हमारे 51 शक्तिपीठ हो गए। सनातन धर्म में शक्तिपीठ का विशेष महत्व है। हर शक्तिपीठ की अपनी एक कहानी है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का उल्लेख किया गया है। इसमें से 42 शक्तिपीठ भारत में हैं, 4 बांग्लादेश में हैं, 2 नेपाल में हैं और 1 श्रीलंका, 1 पाकिस्तान और 1 तिब्बत में हैं।

पृथक-पृथक वर्णों की शक्तियाँ और विग्रह भिन्न हैं इसीलिए उन उन वर्णों, शक्तियों एवं विग्रहों का परस्पर संबंध है। यह ही 51 पीठ हुए। हृदय से ऊर्ध्वभाग के अंग जहाँ पतित हुए, वहाँ वैदिक एवं दक्षिण मार्ग की सिद्धि होती है और हृदय से निम्नभाग के अंगों के पतन स्थलों में वाममार्ग की सिद्धि होती है।

वर्ण उत्पत्ति स्थल

1. 'अकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती की योनि का पात हुआ, वहाँ कामरूप नामक पीठ हुआ। श्रीविद्या से अधिष्ठित यहाँ कौलशास्त्र से अणिमादि सिद्धियाँ सिद्ध होती हैं। लोम से उत्पन्न इसके वंश नामक दो उपपीठ हैं, वहाँ शाबर मन्त्रों की सिद्धि होती है।
2. 'आकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती की स्तनों का पतन हुआ, उस स्थल पर काशि पीठ हुआ जहाँ देहत्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। सती के स्तनों से दो धाराएँ निकलीं, वही असी और वरुणा नदी हुई। असी के तीर पर दक्षिण सारनाथ उपपीठ है एवं वरुणा के उत्तर में उत्तर सारनाथ उपपीठ है, वहाँ क्रमशः दक्षिण एवं उत्तर मार्ग के मन्त्रों की सिद्धि होती है।
3. 'इकार' की उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के गुह्यभाग का पतन हुआ, वहाँ नेपाल पीठ हुआ। वह पीठ वाममार्ग का मूलस्थान है। वहाँ 56 लाख भैरव-भैरवी, दो हजार शक्तियाँ, तीन सौ पीठ एवं चौदह श्मशान सन्निहित हैं। वहाँ चार पीठ दक्षिण मार्ग के सिद्धिदायक हैं, उनमें भी चार में वैदिक मंत्र सिद्ध होते हैं। नेपाल से पूर्व में मल का पतन हुआ अत: वहाँ किरातों का निवास है। तीस हजार देवयोनियों का वहाँ निवास है।
4. 'ईकार' की उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के वाम नेत्र का पतन हुआ, वहां रौद्र पर्वत है, वह महत्पीठ हुआ। वामाचार से वहाँ मन्त्रसिद्धि होकर देवता का दर्शन होता है।
5. 'उकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के वाम कर्ण का पतन हुआ, वहां काश्मीर पीठ हुआ। वहाँ सर्वविध मन्त्रों की सिद्धि होती है। वहाँ अनेक अद्भुत तीर्थ हैं किन्तु कलि में सब म्लेच्छों द्वारा आवृत कर दिये जायेंगे।
6. 'ऊकार' की उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के दक्षिण कर्ण का पतन हुआ, वहां कान्यकुब्जपीठ हुआ। जहाँ गंगा-यमुना के मध्य में अन्तर्वेदी नामक पवित्र स्थल में ब्रह्मादि देवों ने स्वतीर्थों का निर्माण किया है। वहाँ वैदिक मन्त्रों की सिद्धि होती है। उस कर्ण के मल के पतन स्थान में यमुना तट पर इन्द्रप्रस्थ नामक उपपीठ हुआ, उसके प्रभाव से विस्मृत वेद ब्रह्मा को वहाँ पुनः उपलब्ध हुए।
7. 'ऋकार' का उत्पत्ति स्थल, जहाँ सती के नासिका का पतन हुआ, वहाँ पूर्ण गिरिपीठ है। वहाँ योगसिद्धि होती है और मन्त्राधिष्ठातृ देव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं।
8. 'ॠकार' का उत्पत्ति स्थल, जहाँ सती के वाम गण्डस्थल का पतन हुआ, वहाँ अर्बुदाचल पीठ है। वहाँ अम्बिका नाम की शक्ति है, वाममार्ग की सिद्धि होती है, दक्षिण मार्ग में विघ्न होते हैं।
9. 'ऌकार' का उत्पत्ति स्थल, जहाँ सती के दक्षिण गण्डस्थल का पतन हुआ, वहाँ आम्रातकेश्वर पीठ है। वह धनदादि यक्षिणियों का निवास स्थान है।
10. 'ॡकार' का उत्पत्ति स्थल, जहाँ सती के नखों का पतन हुआ, वहाँ एकाभ्रपीठ पीठ है। वह पीठ विद्याप्रदायक है।
11. 'एकार' का उत्पत्ति स्थल, जहाँ सती के त्रिवलि का पतन हुआ, वहाँ

लिस्त्रोत पीठ है। वस्त्र के तीन खण्ड उसके पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में गिरे, वे तीन उपपीठ हुए। गृहस्थ द्विज को पौष्टिक मन्त्रों की सिद्धि वहाँ होती है।

12. 'ऐकार' का उत्पत्ति स्थल, जहाँ सती के नाभि का पतन हुआ, वहाँ कामकोटि पीठ है। समस्त काममन्त्रों की सिद्धि वहाँ होती है, उसकी चारों दिशाओं में उपपीठ है जहाँ अप्सराएँ निवास करती है।
13. 'ओकार' का उत्पत्ति स्थल, जहाँ सती के अंगुलियों का पतन हुआ, वहाँ हिमालय पर्वत में कैलास पीठ है। अंगुलियाँ लिंग रूप में प्रतिष्ठित हुईं, वहाँ करमाला से मन्त्र जप करने पर तत्क्षण सिद्धि होती है।
14. 'औकार' का उत्पत्ति स्थल, जहाँ सती के दन्तों का पतन हुआ, वहाँ भृगु पीठ है। वैदिकादि मन्त्र वहाँ सिद्धि होते हैं।
15. 'अं' का उत्पत्ति स्थल, जहाँ सती के दक्षिण करतल का पतन हुआ, वहाँ केदार पीठ है। उसके दक्षिण में कंकण के पतन स्थान में अगस्त्याश्रम नामक सिद्ध उपपीठ हुआ और उसके पश्चिम में मुद्रिका के पतन स्थल में इन्द्राक्षी उपपीठ हुआ। उसके पश्चिम में वलय के पतन स्थल में रेवती-तट पर राजेश्वरी उपपीठ हुआ।
16. 'अ:' का उत्पत्ति स्थल, जहाँ सती के वाम गण्ड का पतन हुआ, वहाँ चन्द्रपुर पीठ है। सभी मन्त्र वहाँ सिद्ध होते हैं।
17. 'ककार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के मस्तक का पात हुआ, वहाँ श्रीपीठ हुआ। उसके पूर्व में कर्णाभरण के पतन से उपपीठ हुआ, जहाँ ब्रह्मविद्या-प्रकाशिका ब्राह्मी शक्ति का निवास है। उससे अग्निकोण में कर्णाद्धभिरण के पतन से दूसरा उपपीठ हुआ, जहाँ मुखशुद्धकरी माहेश्वरी शक्ति है। दक्षिण में पल्लवल्ली की पातभूमि में कौमारी शक्तियुक्त तीसरा उपपीठ हुआ। नैर्ऋत्य में कष्ठमाल के निपात स्थल में ऐन्द्रजाल विद्या-सिद्धिप्रद वैष्णवी शक्ति समन्वित चौथा उपपीठ हुआ। पश्चिम में नासा-मौक्तिक के पतनस्थान में वाराही शत्तक्तयधिष्ठित पाँचवाँ उपपीठ हुआ। वायुकोण में मस्तकाभरण के पतनस्थान में चामुण्डा शक्ति-युक्त क्षुद्रदेवता-सिद्धिकर छठा उपपीठ हुआ और ईशान में केशाभरण के पतन से महालक्ष्मी से अधिष्ठित सातवाँ उपपीठ हुआ।
18. 'खकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के बाहु का पात हुआ, वहाँ अमरकण्टक पर्वत पर ओंकारक्षेत्र पीठ हुआ। वह पीठ नर्मदा से अधिष्ठित है। उसके उत्तर में कंचुकी की पतनभूमि में उपपीठ हुआ, जो ज्योतिर्मन्त्र-प्रकाशक एवं ज्योतिष्मती से अधिष्ठित है।
19. 'गकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के वक्षस्थल का पात हुआ, वहाँ भी एक पीठ हुआ। अग्नि ने वहाँ तपस्या की और देवमुखत्त्व को प्राप्त होकर ज्वालामुखी संज्ञक उपपीठ में स्थित हुई।
20. 'घकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के वामस्कन्ध का पात हुआ, वहाँ मालवपीठ हुआ। गन्धर्वों ने रागज्ञान के लिये तपस्या कर वहाँ सिद्धि पायी।
21. 'ङकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के दक्षिण कक्ष का पात हुआ, वहाँ कुलान्तक पीठ हुआ। विद्वेषण, उच्चाटन, मारण के प्रयोग वहाँ सिद्ध होते हैं।
22. 'चकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के वाम कक्ष का पात हुआ, वहाँ कोट्टक पीठ हुआ। वहाँ राक्षसों ने सिद्धि प्राप्त की है।
23. 'छकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के जठरदेश का पात हुआ, वहाँ गोकर्ण पीठ हुआ।
24. 'जकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के प्रथम वलिका का पात हुआ, वहाँ मातुरेश्वर पीठ हुआ। वहाँ शैवमन्त्र शीघ्र सिद्ध होते हैं।
25. 'झकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के अपर वलि का पात हुआ, वहाँ अट्टाहास पीठ हुआ। वहाँ गणेश-मन्त्रों की सिद्धि होती है।
26. 'ञकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के तीसरी वलिका का पात हुआ, वहाँ विरज पीठ हुआ। वह पीठ विष्णु-मन्त्रों का सिद्धि प्रदायक है।
27. 'टकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के बस्तिपात का पात हुआ, वहाँ राजगृह पीठ हुआ। राजगृह में वेदार्थज्ञान की प्राप्ति होती है। नीचे क्षुद्रघण्टिका के पतनस्थल में घण्टिका नामक उपपीठ हुआ, वहाँ ऐन्द्रजालिक मन्त्र सिद्ध होते हैं।
28. 'ठकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के नितम्ब का पात हुआ, वहाँ महापथ पीठ हुआ।
29. 'डकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के जघन का पात हुआ, वहाँ कौछगिरि पीठ हुआ। वन देवतओं के मन्त्रों को वहाँ सिद्धि शीघ्र होती है।
30. 'ढ़कार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के दक्षिण ऊरु का पात हुआ, वहाँ एलापुर पीठ हुआ।
31. 'णकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के वाम ऊरु का पात हुआ, वहाँ कालेश्वर पीठ हुआ। वहाँ आयुवृद्धिकारक मृत्युंजयादि मन्त्र सिद्ध होते हैं।
32. 'तकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के दक्षिण जानु का पात हुआ, वहाँ जयन्ती पीठ हुआ। वहाँ धनुर्वेद की सिद्धि अवश्य होती है।
33. 'थकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के वाम जानु का पात हुआ, वहाँ उज्जयिनी पीठ हुआ। वहाँ कवचमन्त्रों की सिद्धि होकर रक्षण होता है। अतः उसका नाम 'अवन्ती' है।
34. 'दकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के दक्षिण जंघा का पात हुआ, वहाँ योगिनी पीठ हुआ। वहाँ कौलिक मन्त्रों की सिद्धि होती है।
35. 'धकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के वाम जंघा का पात हुआ, वहाँ क्षीरिका पीठ हुआ। वहाँ वैतालिक तथा शाबर मन्त्र सिद्ध होते हैं।

36. 'नकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के दक्षिण गुल्फ का पात हुआ, वहाँ हस्तिनापुर पीठ हुआ। वहीं नूपुर का पतन होने से नूपुरार्णवसंज्ञक उपपीठ हुआ, वहाँ सूर्य-मन्त्रों की सिद्धि होती है।
37. 'पकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के वामगुल्फ का पात हुआ, वहाँ उड्डीश पीठ हुआ। उड्डीशाख्य महातन्त्र वहाँ सिद्ध होता है। जहाँ दूसरे नूपुर का पतन हुआ, वहाँ डामर उपपीठ हुआ।
38. 'फकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के देहरस (अस्थि) का पात हुआ, वहाँ प्रयाग पीठ हुआ। वहाँ मृत्तिका श्वेतवर्ण की दृष्टिगोचर होती है। वहाँ अन्याय अस्थियों का पतन होने से अनेक उपपीठों का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा के पूर्व में बगलोपपीठ एवं उत्तर में चामुण्डादि उपपीठ, गंगा-यमुना के मध्य में राज-राजेश्वरी संज्ञक, यमुना के दक्षिण तट पर भुवनेशी नामक उपपीठ हुआ इसीलिये प्रयाग तीर्थराज एवं पीठराज कहा गया है।
39. 'बकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के दक्षिण पृश्नि का पात हुआ, वहाँ षष्ठीश पीठ हुआ। यहाँ पादुका मन्त्र की सिद्धि होती है।
40. 'भकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के वाम पृश्नि का पात हुआ, वहाँ मायापुर पीठ हुआ। समस्त मायाओं की सिद्धि वहाँ होती है।
41. 'मकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के रक्त का पात हुआ, वहाँ मलय पीठ हुआ। रक्ताम्बररादि बौद्धों के मन्त्र यहाँ सिद्ध होते हैं।
42. 'यकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के पित्त का पात हुआ, वहाँ श्रीशैल पीठ हुआ। विशेषतः वैष्णव मन्त्र यहाँ सिद्ध होते हैं।
43. 'र' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के मेद का पात हुआ, वहाँ हिमालय पर मेरु पीठ हुआ। स्वर्णाकर्षण भैरव की सिद्धि वहाँ होती है।
44. 'लकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के जिह्वाग्र का पात हुआ, वहाँ गिरि पीठ हुआ। यहाँ जप करने से वाकसिद्धि होती है।
45. 'वकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के मज्जा का पात हुआ, वहाँ महेंद्र पीठ हुआ। जहाँ शाक्त मंत्रों के जप से अवश्य सिद्धि होती है।
46. 'शकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के दक्षिण अंगुष्ठ का पात हुआ, वहाँ कामन पीठ हुआ। यहाँ समस्त मन्त्रों की सिद्धि होती है।
47. 'षकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के वामांगुष्ठ का पात हुआ, वहाँ हिरण्यपुर पीठ हुआ। वहाँ वाममार्ग से सिद्धिलाभ होता है।
48. 'सकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के रुचि (शोभा) का पात हुआ, वहाँ महालक्ष्मी पीठ हुआ। यहाँ सर्वसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।
49. 'हकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के धमनी का पात हुआ, वहाँ अत्रि पीठ हुआ। वहाँ यावत् सिद्धियाँ होती हैं।
50. 'लकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के छाया का सम्पात हुआ, वहाँ छाया पीठ हुआ।
51. 'क्षकार' का उत्पत्ति स्थान, जहाँ सती के केशपाश का पात हुआ, वहाँ क्षत्र पीठ हुआ। यहाँ समस्त सिद्धियाँ शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध होती हैं।

भिन्न-भिन्न वर्णों की शक्तियाँ और देवता भिन्न हैं। इसीलिये उन-उन वर्णों, पीठों, शक्तियों एवं देवताओं का परस्पर सम्बन्ध है। जिसके ज्ञान और अनुष्ठान साधना का विषय है।

-सदस्य, संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति
वित्त मंत्रालय (राजस्व), भारत सरकार
निवास - वाराणसी, उत्तर प्रदेश

हमें इन पर गर्व है।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे के तत्वावधान में आयोजित हिंदी प्रशिक्षण समन्वय समिति द्वारा आयोजित उत्कृष्ट संकाय सदस्य चयन प्रतियोगिता में बैंक के स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, रोहिणी में पदस्थ संकाय सदस्य श्री अमित मोहन अस्थाना को **हिंदी भाषी संवर्ग में प्रथम पुरस्कार** प्रदान किया गया। इस अवसर पर बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री स्वरूप कुमार साहा, कार्यकारी निदेशक डॉ. रामजस यादव और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ संकाय सदस्य।

डॉ. नीरू पाठक

श्री क्षेत्र पंढरपुर
(सोलापुर, महाराष्ट्र)

सामान्य रूप से मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है और इन अमूल्य क्षणों को आनंद से परिपूर्ण करने के लिए किसी सांस्कृतिक स्थल का दौरा किया जा सकता है अन्य शब्दों में आप इसे पर्यटन कह सकते हैं। इस प्रकार की यात्रा या पर्यटन आपको मानसिक रूप से आनंदित तो करती ही है साथ ही देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था को भी लगातार मजबूत करती है। विगत वर्षों के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन व्यवसाय में निरंतर वृद्धि देखी जा सकती है। उद्योग के संबंध में परिवहन और आतिथ्य उद्योग प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े हुए हैं। पर्यटक की बात करें तो विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार जो लोग "यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं, यह दौरा ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिए मनोरंजन, व्यापार, अन्य उद्देश्यों से किया जाता है, यह उस स्थान पर किसी ख़ास क्रिया से संबंधित नहीं होता है" पर्यटक हैं। पूर्व में पर्यटन आरामपूर्ण गतिविधि के रूप में लोकप्रिय था लेकिन अब यह बात केवल पर्यटकों के संदर्भ में कही जा सकती हैं क्योंकि पर्यटन के अन्य आश्रित पक्षों को इससे कार्य अवसर मिलते हैं।

भारतीय समाज में पहले से ही तीर्थ यात्रा की परंपरा रही है। तीर्थ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य पवित्र स्थानों का अवलोकन करना, जीवन को अमूल्य क्षणों को आनंदित करना, नई संस्कृतियों को आत्मसात करने, नए व्यंजनों को स्वाद लेने, तत्संबंधी स्थानीय उत्पादों की स्मृतिस्वरूप खरीददारी इत्यादि थी लेकिन इसका गौण उद्देश्य कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को गतिशील करना भी था। मानव के विकास, सुख व शांति की संतुष्टि और ज्ञान के लिए पर्यटन को अति आवश्यक माना गया है। भारत देश जिसे विश्व समुदाय एक बाज़ार के रूप में देखता है और जहाँ पर्यटन के लिए अनेक केंद्र बिंदु हैं, के निवसियों का पर्यटन के लिए विदेशों का रूख सराहनीय प्रतीत नहीं होता है।

आवागमन के उन्नत साधनों की भरमार के कारण अल्पावधि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के इस दौर में मैंने अल्पावधि स्थानीय यात्रा का मार्ग चुना। व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप सांस्कृतिक यात्रा के लिए मुझे अधिक विकल्प तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परम पवित्र क्षेत्र पंढरपुर, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से लगभग 230 किलोमीटर तथा शोलापुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पृष्ठभूमि वाला यह प्राकृतिक दृश्यों के समक्ष आपके सामने आता है। पंढरपुर मुंबई-चेन्नई रेलमार्ग पर स्टेशन कुरुडेवाली से मात्र कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। श्री क्षेत्र पंढरपुर को भू-बैकुंठ माना जाता है। आपने आज तक ऐसे तीर्थ क्षेत्र के विषय में जाना होगा जहाँ भक्त, भगवान से मिलने जाते हैं उनका दर्शन कर अपने को कृतार्थ करने जाते हैं किंतु पंढरपुर ऐसा श्री क्षेत्र है जहाँ भक्त पुंडलिक की अनन्य भक्ति पर प्रसन्न होकर प्रभु श्रीकृष्ण अपनी स्वर्णिम नगरी द्वारिका का त्यागकर, पंढरपुर में पुंडलिक द्वारा माता-पिता की सेवा में रत होने के कारण उसके द्वारा अनजाने में फेंकी गई ईंट पर अपने कमर में दोनों हाथ रखकर उनकी प्रतीक्षा में खड़े हो गए।

बात कुछ वर्ष पूर्व की है, जब हमारे बैंक के उप महाप्रबंधक महोदय ने अपनी पंढरपुर यात्रा के विषय में मुझे बताया था तथा निज अनुभव सुनाए थे। तभी से मन में वहां जाने और उनका दर्शन करने की की बहुत जिज्ञासा थी। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि पुणे जाने पर पंढरपुर जाना भी हो पाया। सुना था तीन-चार घंटे की लाइन लगती है। दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवाया था पर ठान लिया था, देखा जाएगा जैसी प्रभु की इच्छा। हम चार लोग गाड़ी से सुबह ही पंढरपुर के लिए निकल गए। अगस्त का महीना था, मौसम बहुत ही सुहाना था। हर 5-10 मिनट की ड्राइव के बाद मौसम बदल रहा था। कभी बूँदा-बाँदी, कभी धुँध और कहीं ठंडी हवाएं। आकाश पर बादल थे पर सूर्य भगवान के दर्शन भी यदा-कदा हो रहे थे। रास्ता सुंदर था और सड़क भी बहुत अच्छी बनी थी। सड़क के दोनों ओर हरियाली, छोटे पहाड़ व बादलों से आच्छादित आकाश, सब इतना मनोरम था कि दूरी का पता ही नहीं चला। रास्ते में भीमा नदी, उस पर बना बांध, तरह-तरह के पक्षी जैसे सब हमारी बाट जोह रहे हों। आज लिखते

हुए भी वह समय चलचित्र की तरह सामने आ रहा है। मन में दर्शन की उमंग उस समय को आत्म-विभोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। लगभग चार घंटे की ड्राइव के बाद हम पंढरपुर पहुंच गए। हमने पहले ही दोपहर 1:00 बजे की ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी, समय से पहले ही वहां पहुंच गए थे। यहां भीमा नदी चंद्रभागा कहलाती है, वस्तुतः भीमा नदी यहां चंद्राकर रूप में वक्र होकर बहती है इसलिए चंद्रभागा कहलाती है। वहीं तट पर भक्त पुंडलीक का मंदिर है।

पुंडलीक के विषय में जनश्रुति है कि पुंडलिक अपनी पत्नी के साथ काशी यात्रा पर निकला। रास्ते में कुक्कुट मुनि का आश्रम आया। मुनि की माता-पिता के लिए भक्ति की महिमा देखकर वो चकित हो गया। उसने देखा तीन स्त्रियां मैले कुचेले वस्त्रो में आश्रम आती हैं और कुछ समय पश्चात उजले स्वच्छ वस्त्रो में देवी रूप में बाहर आती हैं। वे गंगा, यमुना और सरस्वती, मुनि का आँगन बुहार, पानी छिड़क, दूसरों के पापों मलिन अपने को पवित्र कर रही हैं। पुंडलिक के पूछने पर उन्होंने बताया कि माता-पिता की सेवा का ही यह महत्त्व हैं। ऐसा सुनकर पुंडलिक ने माता-पिता की सेवा का संकल्प लिया तथा पंढरपुर तब इसे लोहदंड तीर्थ के नाम से जाना जाता था, में चंद्रभागा नदी के तट पर घर बसाकर वृद्ध माता-पिता की सेवा में लग गया और निरंतर भगवान का स्मरण करने लगा। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण उससे मिलने आए तब पुंडलिक माता-पिता की सेवा में व्यस्त था, उसने उनकी ओर बिना देखे उन्हें प्रतीक्षा करने और वहाँ पानी होने के कारण एक ईंट फेककर उस पर खड़े रहने को कहा। थोड़ी देर में सेवा से निवृत होने पर पुंडलिक ने जब भगवान को इस प्रकार खड़े देखा तो उनके चरणों में गिर गया। बार-बार क्षमा मांगी, भगवान ने उससे प्रसन्न होने पर वर मांगने कर लिए कहा। पुंडलिक ने कहा प्रभु भक्तों का उद्धार करने के लिए इसी रूप में आप यहाँ विराजें। तब से यहाँ पर विट्ठलनाथ के रूप में भगवान की विनम्रता तथा अपने भक्त के लिए कटिबद्धता के अलौकिक, अनुपम व भव्य दर्शन होते हैं। कमर पर हाथ रखकर भगवान विष्णु ही विट्ठल के रूप में खड़े हैं। इस मंदिर को सर्वप्रथम किसने बनाया, विठ्ठल की मूर्ति किसने स्थापित की, यह स्पष्ट नहीं है। स्थानीय शासक नरेश मालोजीराव निंबालकर ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जाति-पाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भक्त और भगवान के मिलन की अनूठी प्रस्तुति है यह मंदिर।

इस मंदिर के पुजारी हरिजन हैं। जिस किसी ने हृदय से पुकारा, भगवान उनके हो गए। यह भगवान का ऐसा रूप है जहां आज भी भक्त, भगवान के चरणों का स्पर्श कर अभिभूत हो जाते हैं। उनके माथे पर पसीना आना, उनके चरणों का कोमल गरम स्पर्श, उनका अपनी पलकों को झपकना, आज भी उनकी अपने भक्तों से आत्मीयता दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि निज भक्तों से भगवान विट्ठल का व्यवहार, भक्तों की अनुभूति पर निर्भर करता है। भक्त नामदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर विट्ठलनाथ उनके साथ भोजन करते थे, संत जनाबाई के साथ चक्की चलाकर आटा पिस्ते थे, दामाजी पंत की रक्षा के लिए स्वयं सेवक बनाकर दरबार चले गए, आज हम उसी तीर्थ वर्णन की यात्रा कर रहे हैं।

ऑनलाइन बुकिंग होने से रास्ता कुछ अलग होकर आगे जाकर मुख्य मंदिर तक जाता है। विट्ठल मंदिर के तीन द्वार हैं : **प्रथम महाद्वार या नामदेव दरवाजा।** यहां भक्त नामदेव के स्मरण में सीढ़ियाँ है। महाद्वार के सामने ही संत चोखा मेला की समाधि है। संत चोखामेला निम्न जाति में पैदा हुए थे। ऐसे महान संत थे कि विट्ठल स्वयं उनकी कुटिया में दही भात खाने आते थे। कहा जाता है कि मरणोपरांत भी इनकी अस्थियों से विट्ठल-विट्ठल की आवाज आती थी इसलिए इनकी अस्थियों से महाद्वार के सामने में समाधि बनाई गई। **दूसरा पुरुषों की वारी (कतर/लाइन) का दरवाजा है और तीसरा दरवाजा, छोटा दरवाजा है।** इसकी अतिरिक्त अन्य द्वार भी हैं। हम लगातार लाइन में बढ़ते जा रहे थे। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मंदिर किस ओर है। रास्ते में लाइन के साथ-साथ बैठने के लिए भी स्थान था। जब थक जाती तो कुछ पल के लिए बैठ जाती। फिर लाइन चल पड़ती। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मन फिर एक बार अभिभूत हो गया। हमारी लाइन के विपरीत भी एक लाइन चली आ रही थी, शायद वह किसी दूसरे द्वार से आ रही थी। मैंने देखा एक छोटे कद के व्यक्ति धोती-कुर्ता पहने, हाथ में तंबोरा लिए मुझे लगातार देख रहे थे। मैंने हाथ जोड़ का प्रणाम किया और उन्होंने मुस्कुरा कर दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। पता नहीं क्यों आँख भर आई मैं लाइन में आगे बढ़ गई और वे विपरीत दिशा में। शायद इसलिए कि उनकी छवि संत तुकाराम से बहुत हद तक मिलती थी।

कहा जाता है कि पंढरपुर श्री क्षेत्र है और आज भी संत यहां नित्य निवास करते हैं। परमेश्वर के प्रति सर्व समर्पित ऐसे भगवान भक्त हैं जिनकी रक्षक स्वयं श्री विट्ठलनाथ हैं। अगर उनके भक्तों का वर्णन करने लगे तो यह लेख बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी क्षुद्र मानव की ऐसी क्षमता भी नहीं कि भगवान और उनके भक्तों का संपूर्ण वर्णन किया जा सके। तकरीबन दो घंटे कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी सीधे बढ़ते-बढ़ते हम दो शीला निर्मित गोलाकार स्तंभों के सहारे बने मंडप के पास पहुंचे, जिसकी बाई ओर बड़ा वृक्ष है, उसके आगे गणपति, गरुड़ एवं हनुमान जी के मंदिर

हैं। आगे हाथी दरवाजा है, इसके आगे एक चौरस आकृति की जगह है और वही अंदर से गर्भ मंदिर का प्रवेश द्वार है। तीन फीट, नौ इंच ऊंचाई के मनोहर विट्ठल वही विराजे हैं। कृष्ण शिला से बनी मूर्ति के मस्तक पर मुकुट है जिसे शिवलिंग मानते हैं इसलिए हरी और हर दोनों के दर्शन यहां एक साथ होते हैं। उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें निहारते हुए मन ही नहीं भर रहा था।

कभी दृष्टि भगवान के चरणों पर ठहरती तो कभी माथे पर लगे चन्दन के तिलक के बीच लगी काली बिंदी पर। आज तक तिलक पर काली बिंदी के दर्शन किसी विग्रह पर नहीं हुआ था जिज्ञासावश भगवान के कक्ष के बाहर बैठे एक संत से मैंने पूछ ही लिया - क्या ये नजर का टीका है। वो पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले - जैसे भक्त, भगवान से मिलने के लिए आतुर होते हैं वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों को लंबी लाइन में घंटों खड़े रहने से दुखी होते हैं। इसलिए जहाँ भक्त खड़े होते हैं वहाँ रात्रि में झाड़ू लगाई जाती है और भक्तों की पगधूल इकट्ठा कर छान कर उस मिट्टी में चंद्रभागा नदी का जल मिलाया जाता है और उसे भगवान तिलक के बीच धारण करते हैं। ऐसे हैं पंढरपुर के भक्त वत्सल भगवान विठ्ठल। आगे भगवान का शयन कक्ष है। बाई ओर सूर्य भगवान का मंदिर है। अंबाबाई, नारद मुनि, परशुराम, गजानन वेंकटेश मंदिर भी है। रुक्मिणी, सत्यभामा तथा राधा-कृष्ण के मंदिर हैं। आगे एक खुला चौक है जहाँ भक्तगण बैठकर भजन करते हैं। सभी छोटे, अपने से बड़े के चरण स्पर्श करते हैं। क्या पुरुष, क्या स्त्री मिलकर किकली करते हैं, खुश होते हैं, आनंद जैसे सब के हृदय से छलक रहा हो (किकली ऐसा खेल जिसमें दो व्यक्ति एक-दूसरे के हाथ पकड़कर घूमते हैं, जैसे एक प्रकार के नृत्य द्वारा आनंद की अभिव्यक्ति करते हों)। हम भी खुश थे। रंग-जाति से ऊपर उठकर भक्तों का ऐसा समागम अन्यत्र दुर्लभ है।

भगवान विट्ठल की बात की जाए और उनकी वारियों की चर्चा न हो तो सब अधूरा है। दोनों प्रमुख वारियों (यात्राओं) के समय भगवान के दर्शन चौबीस घंटे होते हैं। पंढरी क्षेत्र में आषाढ़ और कार्तिक एकादशी पर भूलोक में बैकुंठ ही उतर आता है। अलग-अलग गाँव से पालकियाँ आती है। आलंदी से ज्ञानेश्वर, त्र्यंबकेश्वर (नासिक) से निवृत्तिनाथ, आदिलाबाद से मुक्ताबाई, पैठण से एकनाथ महाराज, देहू से तुकाबाराय, औरंगाबाद से जनार्दन स्वामी, पंढरपुर से नामदेव महाराज, कौंडियपुर से रुकमणी माता तथा अन्य पुण्य क्षेत्रों से अनेक पालकियाँ आती है। पदयात्रा ही इनका साधन है। भजन-कीर्तन, प्रवचन, नामघोष चलते रहते हैं, कहते हैं कि उडुपी में अन्नब्रह्म, तिरुपति में कंचन ब्रह्मा और पंढरी में नाद ब्रह्मा निवास करते हैं। विट्ठल-विट्ठल मृदंग की आवाज के साथ गुंजायमान होकर समस्त वातावरण को पवित्र और अलौकिक कर देता है, यही नाथ ब्रह्म है। पंढरपुर में अनेकों मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, मठ है। वहां बार-बार यात्रा करना भी कम है। हर बार नए अनुभव, भक्ति की वर्षा और भगवान विट्ठलनाथ का आकर्षण आपको वहां जाने के लिए बार-बार प्रेरित करता है।

देश के सर्वोच्च नेतृत्व ने भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए हैं और इसका परिणाम भी हमें दिख रहा है। 'वेड इन इंडिया', 'वोकल फॉर लोकल' जैसे नारे को भी भारतीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। कुल मिलाकर पर्यटन की असीम संभावनाएं देश के प्रत्येक राज्य में विद्यमान है। तनावपूर्ण जीवन शैली में पर्यटन व्यक्ति को मानसिक शांति में सहायक हो सकता है लेकिन पर्यटन के क्षेत्र स्थानीय या देशीय हो तो वह राष्ट्र के आर्थिक सशक्तिकरण में लाभदायी होगा। वैश्विकरण के दौर में अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कुछ समय के लिए वरीयता क्रम में भले ही ऊपर हो लेकिन धीरे-धीरे ही सही हमें तथाकथित स्टेटस सिंबल के स्थान पर व्यावहारिक पक्ष को धरातल पर उतारना होगा। हमारी मानसिक अवधारणा यह होनी चाहिए कि हमारे पास जो भी है वही उत्कृष्ट है या उन्हें उत्कृष्ट बनाना हमारा व्यक्तिगत दायित्व है। जनहित और देशहित के मद्देनजर केवल पर्यटन नहीं अपितु देशीय पर्यटन का सर्वोपरि होना आवश्यक होगा।

-सेवानिवृत्त प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

रचनाकारों से निवेदन

रचनाकारों से निवेदन है कि बैंक के प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही तिमाही हिंदी पत्रिका “राजभाषा अंकुर” में प्रकाशन हेतु लेख भेजते समय लेख के अंत में अपना नाम, शाखा/ कार्यालय का पता, मोबाइल नंबर तथा अपना बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अवश्य लिखें। इसके साथ ही लेख के संबंध में मौलिकता प्रमाण-पत्र और अपना फ़ोटो भी उपलब्ध कराएं। सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य, उपरोक्त के अतिरिक्त अपने घर का पता तथा स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) का भी उल्लेख करें।

-मुख्य संपादक

हिंदी कार्यशाला

आंचलिक कार्यालय लखनऊ

आंचलिक कार्यालय जालंधर

आंचलिक कार्यालय भोपाल

आंचलिक कार्यालय गुरदासपुर

आंचलिक कार्यालय जयपुर

आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़

हिंदी कार्यशाला

आंचलिक कार्यालय गुरुग्राम

आंचलिक कार्यालय नोएडा

स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज रोहिणी

आंचलिक कार्यालय पंचकूला

आंचलिक कार्यालय अमृतसर

आंचलिक कार्यालय फरीदकोट

स्वर्ण प्रोमा

डिजिटल साक्षरता के माध्यम से बैंकों में जोखिम प्रबंधन

21वीं शताब्दी, बैंकिंग की दृष्टि से नवोन्मेष की शताब्दी है। संचार क्रांति के इस दौर में बैंकों के माध्यम से होने में वाले अधिकांश कार्य ऑनलाइन माध्यम से होने लगा है। 21वीं शताब्दी में बैंकिंग जगत में दो ऐतिहासिक घटना घटी। प्रथम केंद्रीकृत ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज अर्थात कोर बैंकिंग के शुरुआत के बाद बैंकिंग क्षेत्र में युगांतरकारी घटना घटी तथा दूसरी सबसे बड़ी घटना यूपीआई के आने के बाद घटित हुई है। आज विश्व का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो बैंकिंग जगत से अपने आपको अछूता रखना चाहेगा। देश में आज जिस तरह आधार कार्ड के रूप में एक बायोमेट्रिक पहचान मिली है कुछ उसी तरह यूपीआई के आने के बाद प्रत्येक खाताधारकों को एक डिजिटल पहचान मिली है। इस डिजिटल पहचान के कारण आज हम सभी डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुके है। हमारी व्यक्तिगत जानकारी, आर्थिक जानकारी, अन्य गोपनीय जानकारी सभी प्रकार की जानकारी डिजिटल स्पेस में है इसलिए डिजिटल स्पेस में कदम रखने से पूर्व हमें फूक-फूंककर कदम रखने की जरूरत है।

आजादी के बाद पिछले छः दशकों में जितने लोग बैंकों से जुड़े, लगभग उतने ही लोग बैंकिंग सुविधाओं से पिछले एक दशक में जुड़े है। वित्तीय समावेशन के इस चमत्कारी परिवर्तन के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह आने लगी है कि हम वित्तीय लेनदेन हेतु कितने वित्तीय रूप से साक्षर है। डिजिटल साक्षरता वित्तीय साक्षरता का अगला सोपान है। यहाँ हम डिजिटल साक्षरता के माध्यम से बैंकों में जोखिम प्रबंधन पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे है। डिजिटल सुरक्षा के दो पहलू है- पहला मनोवैज्ञानिक पहलू और दूसरा तकनीक पहलू। दोनों पहलू डिजिटल सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा देखने में आया है कि बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल अपराधों में मनोवैज्ञानिक पहलू को मानवीय भूल या चूक के कारण सबसे ज्यादा गलतियाँ होती है। इसे कुछ उदाहरण से समझा का सकता है। डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार होने वाले लोगों में सभी क्षेत्र, वर्ग एवं आयु के लोग है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसमें पढ़े-लिखे लोगों, कम और अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा शिकार होते है। उम्र दराज अर्थात अधिक आयु वर्ग के वैसे लोग भी इसका शिकार हो जाते है जिनसे फोन पर या लिंक आदि भेजकर उनका व्यक्तिगत डाटा हासिल कर उनको डिजिटल धोखाधारी का शिकार बनाते है। इसके लिए हम वित्तीय साक्षरता को प्रमुख कारक मानते है। साक्षर होना अलग बात है वित्तीय साक्षरता होना उससे अलग, डिजिटल साक्षर होना उससे भी अलग। डिजिटल अपराध के शिकार होने से बचाव हेतु हमें प्रत्येक देशवासियों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने की पहल करनी चाहिए तभी हम डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव हेतु एक मजबूत सुरक्षा कवच का निर्माण कर सकेंगे।

आज हम एक साथ चार पीढ़ी को बैंकिंग सेवा दे रहे है इसलिए बैंकिंग में डिजिटल साक्षरता के माध्यम से बैंकों में जोखिम प्रबंधन करना बड़ी चुनौती बन गया है। डिजिटल स्पेस में रहना और वहाँ काम करना अपने आप में एक कला के साथ- साथ विज्ञान दोनों है। तकनीक का प्रयोग कैसे करें, यह विज्ञान और छल-प्रपंच से जानकारी पर नियंत्रण हासिल करके हेरफेर, धोखा कोई न दे पाए, यह कला हमें आनी चाहिए। 'मनुष्य' किसी भी सुरक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी होने के कारण अत्यधिक असुरक्षित है और इस प्रकार एक हैकर के लिए आवश्यक जानकारी का प्रवेश द्वार बनाता है। फ़िशिंग, डिजिटल हमलों के लिए एक प्रयुक्त लोकप्रिय टूल है।

फ़िशिंग अटैक : फ़िशिंग एक डिजिटल अपराध है जो वैध दिखने वाले ई-मेल, कॉल या टेक्स्ट संदेशों का उपयोग करता है जो स्वयं को प्रामाणिक स्रोतों से चित्रित करते हैं ताकि व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी, वित्तीय विवरण, ओटीपी या पासवर्ड जैसे संवेदनशील डेटा प्रदान करने के लिए राजी किया जा सके। लोकप्रिय सोशल वेबसाइटों, बैंकों, नीलामी साइटों या आईटी प्रशासकों के होने का दावा करने वाले ईमेल के माध्यम से समान्य जनता को बरगलाने के लिए अपनाए जाने वाले सामान्य तरीके हैं।

डिजिटल अपराधी द्वारा भेजे गए ईमेल, लिंक नकाबपोश होते हैं इसलिए वे किसी ऐसे व्यवसाय द्वारा भेजे गए प्रतीत होते हैं जिसकी सेवाओं का उपयोग प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाता है। कभी-कभी, आधिकारिक दिखने वाले संदेश प्राप्तकर्ताओं को बताते हैं कि तकनीकी समस्याओं के कारण, उनके खातों की बिलिंग जानकारी या पासवर्ड फिर से सबमिट किए जाने चाहिए। उपभोक्ताओं को अपना व्यक्तिगत डेटा प्रदान करने के लिए मूर्ख बनाने की उम्मीद में कॉन कलाकार, वैध वेबसाइटों की जानकारी का उपयोग करके पृष्ठों को फिर से बनाते हैं।

पहला फ़िशिंग मुकदमा 2004 में कैलिफोर्निया के एक किशोर के खिलाफ दायर किया गया था जिसने वेबसाइट "अमेरिका ऑनलाइन" की नकल बनाई थी। इस फर्जी वेबसाइट के साथ, वह उपयोगकर्ताओं से संवेदनशील जानकारी हासिल करने और उनके खातों से पैसे निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड के विवरण तक पहुंचने में सक्षम था। फ़िशिंग के कुछ अन्य रूप 'विशिंग' (वॉयस फ़िशिंग), 'स्मिशिंग' (एसएमएस फ़िशिंग) आदि हैं और डिजिटल अपराधी लगातार कई नई तकनीकों के साथ आते हैं। स्पीयर फ़िशिंग, एक प्रकार की फ़िशिंग है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या संगठन पर ईमेल के माध्यम से किया जाता है, जिसका लक्ष्य उनके सुरक्षा में प्रवेश करना होता है। स्पीयर फ़िशिंग अटैक लक्ष्य पर शोध के बाद किया जाता है और इसमें एक विशिष्ट व्यक्तिगत घटक होता है जिसे लक्ष्य को अपने हित के विरुद्ध कुछ करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। गोपनीय कॉर्पोरेट डेटा को कैप्चर करने में इस तंत्र का उपयोग किया जाता है।

फ़िशिंग मेल : आप फ़िशिंग ई-मेल की पहचान नीचे दिए गए विवरणों पर सत्यापित करके कर सकते हैं, प्रेषक के पते की विश्वसनीयता की जाँच करें। बैंकों के नाम से अधिसूचना मेल/ लिंक से समानता से व्यक्तिगत अभिवादन की कमी, हालांकि व्यक्तिगत विवरण की उपस्थिति वैधता की गारंटी नहीं है। वास्तविक मेल आमतौर पर आपके नाम को संबोधित करते हैं। कुछ कार्य करने से पूर्व मेल में दिए गए लिंक या बटन की जाँच करें। उदाहरण के रूप में "pubjabandsind@org" से ईमेल लिंक में गो टू "pubjabandsind@org" लिंक वास्तव में एक ऐसी वेबसाइट पर जाता है जो बैंक के वेबसाइट से संबंधित नहीं है। ईमेल में वर्तनी की गलतियाँ और लिंक में आईपी पता होना दोनों ही इस बात के संकेत हैं कि मेल एक फ़िशिंग प्रयास है। एक फ़िशिंग वेबसाइट (जिसे कभी-कभी "धोखाधड़ी" साइट कहा जाता है) आपको धोखा देकर आपके खाते का पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी चुराने का प्रयास करती है।

फिशिंग से बचाव : वेबसाइट का उपयोग करने से पहले पूरे यूआरएल को पैडलॉक चेक के साथ जांचना सबसे अच्छा अभ्यास है। हमेशा सुनिश्चित करें कि, आप वास्तविक डोमेन नाम के साथ वास्तविक यूआरएल का उपयोग कर रहे हैं। https://www.virustotal.com एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जा सकता है कि कोई यूआरएल फ़िशिंग है या नहीं। फ़िशिंग का शिकार होने से बचने के लिए आप जो कुछ अन्य सावधानियां बरत सकते हैं, वे नीचे दी गई हैं:

- हमेशा, क्लिक करने से पहले सोचें ।
- यादृच्छिक ईमेल या संदेशों में दिखाई देने वाले लिंक पर क्लिक करना एक अच्छा कदम नहीं है।
- यदि आपको किसी मेल या लिंक की प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं तो उनकी जांचें अवश्य करें। एक वैध स्रोत से होने का दावा करने वाला फ़िशिंग ईमेल लिंक बिल्कुल वास्तविक वेबसाइट जैसा लग सकता है। हालाँकि, उनके पास व्यक्तिगत अभिवादन की कमी हो सकती है और "प्रिय ग्राहक" से शुरू हो सकते हैं, इसलिए जब आप ऐसे संदेश देखें तो सतर्क रहें।
- साथ ही, जब संदेह हो, तो संभावित खतरनाक लिंक पर क्लिक करने के बजाय यूआरएल पता टाइप करके सीधे स्रोत पर नेविगेट करें। साइट की सुरक्षा की दोबारा जांच करें।
- संवेदनशील वित्तीय जानकारी ऑनलाइन प्रदान करने के बारे में हमेशा सतर्क और थोड़ा सतर्क रहें। कोई भी जानकारी सबमिट करने से पहले, सुनिश्चित करें कि साइट का यूआरएल "https" से शुरू होता है और एड्रेस बार और पूरे यूआरएल के पास एक क्लोज्ड लॉक आइकन होता है।

- यदि आपको यह संदेश मिलता है कि किसी निश्चित वेबसाइट में दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलें हो सकती हैं तो ऐसा न करें।

कभी भी संदिग्ध ईमेल या वेबसाइट से फाइल डाउनलोड न करें। कई फ़िशिंग वेब पेज कम लागत वाले उत्पादों की पेशकश करने वाले उपयोगकर्ताओं को बरगलाते हैं। यदि उपयोगकर्ता ऐसी वेबसाइट पर खरीदारी करता है तो डिजिटल अपराधियों द्वारा क्रेडिट कार्ड का विवरण प्राप्त किया जाएगा। अपने ऑनलाइन खातों को नियमित रूप से सत्यापित करें, नियमित रूप से अपने ऑनलाइन खातों पर जाने की आदत डालें। अपने वित्तीय खातों के मासिक विवरणों की नियमित रूप से जाँच करने से बैंक फ़िशिंग और क्रेडिट कार्ड फ़िशिंग घोटालों को रोकने में मदद मिल सकती है। यह भी सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी के बिना कोई भी धोखाधड़ी लेनदेन नहीं किया गया है।

पासवर्ड हाइजीन: इंटरनेट सुरक्षा फर्म स्प्लैश डेटा की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय पासवर्ड '123456' है। दिलचस्प बात यह है कि उनके अध्ययन के अनुसार यह पिछले पांच वर्षों से नंबर एक विकल्प रहा है, इसके बाद 'पासवर्ड' आता है। जैसा कि स्पष्ट है, लोग उस पासवर्ड का उपयोग करते हैं जिसे वे आसानी से याद रख सकते हैं। पासवर्ड स्वच्छता के अच्छे स्तर को बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली कुछ सर्वोत्तम प्रथाएं हैं -

एक से अधिक खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग न करें, विशेष रूप से वित्तीय खातों के लिए। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले घर या स्थान या पालतू जानवर या कंपनी का नाम, फोन या वाहन नंबर आदि हो सकते हैं। यदि कोई हमलावर किसी भी बिंदु पर आपको लक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो ऐसे पासवर्ड का उनके द्वारा आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें जो अंकों, अपरकेस, लोअरकेस, विशेष वर्णों का एक संयोजन है। 'ई' के बजाय '3', 'एस' के बजाय '$', 'आई' के बजाय '1' का उपयोग करना पासवर्ड की ताकत को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। पासवर्ड की सामान्य रूप से उचित लंबाई 8 वर्ण है। हालाँकि, अधिकांश वेब एप्लिकेशन पासवर्ड फ़ील्ड में 25 वर्णों तक का समर्थन करते हैं। वर्णों की संख्या जितनी अधिक होगी, किसी तीसरे पक्ष द्वारा पासवर्ड का अनुमान लगाना उतना ही कठिन होगा। शब्दकोश में किसी शब्द के प्रयोग से बचें। ऐसे पासवर्ड को आसानी से पहचानने के लिए डिक्शनरी अटैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। एप्लिकेशन द्वारा प्रदान किए गए डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का उपयोग करने से बचें। पहले लॉगिन के बाद बदलें। अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलें, जैसे हर 30-45 दिनों में।

नकली वेबसाइटें: नकली वेबसाइट और एप्लिकेशन जो कोविड-19 संबंधित जानकारी साझा करने का दावा करते हैं, वास्तव में मैलवेयर इंस्टॉल करेंगे, आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराएंगे या अन्य नुकसान पहुंचाएंगे। इन उदाहरणों में वेबसाइट और एप्लिकेशन समाचार, परीक्षण परिणाम या अन्य संसाधनों को साझा करने का दावा कर सकते हैं। हालांकि वे केवल लॉगिन क्रेडेंशियल, बैंक खाते की जानकारी या आपके उपकरणों को मैलवेयर से संक्रमित करने के साधन की तलाश कर रहे हैं।

कपटपूर्ण चैरिटी: फर्जी या गैर-मौजूद धर्मार्थ संगठनों के लिए दान मांगने वाली वेबसाइटों में तेजी आई है। नकली चैरिटी और डोनेशन वेबसाइट किसी की नेक इच्छा का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। किसी अच्छे काम के लिए पैसे दान करने के बजाय, ये नकली चैरिटी इसे अपने पास रखते हैं। अनुशंसाएं कोविड -19 संबंधित विषय पंक्तियों, अनुलग्नकों या ईमेल, ऑनलाइन ऐप्स और वेब खोजों में हाइपरलिंक वाले किसी भी ईमेल को संभालने में अत्यधिक सावधानी बरतें, विशेष रूप से अवांछित ईमेल। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पोस्ट, टेक्स्ट मैसेज या समान संदेशों वाले फोन कॉल से सावधान रहें। सतर्क रहें क्योंकि डिजिटल अभिनेता देश की स्थिति के अनुकूल होने और विकसित होने की बहुत संभावना रखते हैं और दुनिया भर में कोविड-19 का फायदा उठाने के लिए नए तरीकों का उपयोग करना जारी रखते हैं। नीचे दी गई सावधानियों को अपनाकर, आप इन खतरों से बेहतर तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हैं:

1. अवांछित या असामान्य ईमेल, टेक्स्ट संदेश और सोशल मीडिया पोस्ट में लिंक और अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचें।
2. महामारी की स्थिति से संबंधित सटीक और तथ्य-आधारित जानकारी के लिए केवल विश्वसनीय स्रोतों जैसे सरकारी वेबसाइटों का उपयोग करें।
3. कभी भी फोन या ईमेल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग जानकारी या अन्य व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी सहित न दें।
4. दान करने से पहले हमेशा किसी चैरिटी की प्रामाणिकता की पुष्टि करें।

5. अविश्वसनीय/ अज्ञात स्रोतों से एप्लिकेशन डाउनलोड या इंस्टॉल करने से बचें।
6. एकाधिक खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करने से बचें।

सार्वजनिक वाई-फाई : सार्वजनिक वाई-फाई का उपयोग करते समय कोई वित्तीय विवरण दर्ज न करें। यह हैकिंग के लिए प्रवृत्त है क्योंकि आप इसकी उत्पत्ति और तकनीकी के बारे में नहीं जानते हैं।

मालवेयर : यह वायरस, वर्म्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर और ट्रोजन जैसे कई रूपों में आता है। प्रोग्राम की गई स्क्रिप्ट किसी असुरक्षित वेबसाइट, संक्रमित मेल या पेन ड्राइव आदि से किसी भी माध्यम से सिस्टम में प्रवेश कर सकती है। यह वास्तव में एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर है जो एटीएम या बैंक सर्वर पर कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है और डिजिटल अपराधियों को गोपनीय कार्ड डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है। डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव हेतु एवं निवारक हेतु सतर्कता ही सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक बचाव है। इसके साथ–साथ हमें वित्तीय साक्षरता पर जोर देते हुए हमें डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव हेतु एक सशक्त पीढ़ी तैयार करने की जरूरत है। तकनीक के विकास के साथ-साथ उसके दुष्परिणाम भी होंगे परंतु इसके लिए हम तकनीकी विकास को अस्वीकार नहीं कर सकते है। संचार क्रांति के इस दौर में तकनीकी विकास आज की सच्चाई है हमें इसके साथ जीवन जीने की आदत बनानी होगी। अपनी क्षमता और वित्तीय साक्षरता को भी साथ-ही साथ बढ़ाना होगा।

हमें वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की तरह हमें बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता विषय पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए ग्राहकों को सजग करना है। प्रशिक्षकों द्वारा किसानों, छोटे उद्यमियों, स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। वित्तीय साक्षरता की तरह डिजिटल साक्षरता पर ग्राहकों के लाभ के लिए ऑडियो-विजुअल तैयार किए जा सकते हैं। डिजिटल साक्षरता की उपलब्धि, उपभोक्ताओं को सही वित्तीय निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाती है जिससे उनकी व्यक्तिगत वित्तीय बुद्धिमता विकसित होती है तथा वो अपने पैसा प्रबंधन के साथ सुरक्षित रख सकती है। बैंकिंग में डिजिटल साक्षरता के माध्यम से बैंकों में जोखिम प्रबंधन का मूल उदेश्य भी यही है।

-आधिकारी
सेक्टर 46 - सी , चंडीगढ़ शाखा

विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन

17 मार्च, 2024 को बैंक के स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रधानाचार्या श्रीमती बिंदु जी शर्मा की अध्यक्षता में संकाय सदस्यों के लिए विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग से श्री निखिल शर्मा, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) उपस्थित रहे। कार्यशाला में संकाय सदस्यों को राजभाषा संबंधी अनिवार्यताओं से अवगत कराया गया।

संसदीय राजभाषा समिति का दौरा

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने 12 फरवरी, 2024 को बैंक के आंचलिक कार्यालय मुंबई का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान माननीय सदस्यों ने कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन पर अपेक्षाकृत बेहतर परिणामों के लिए बैंक का मार्गदर्शन किया और यथोचित निर्देश दिए। समिति सदस्यों में डॉ. अमी याज्ञिक और श्रीमती कान्ता कर्दम तथा समिति सचिवालय के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण कार्यक्रम में बैंक की ओर से महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर, आंचलिक प्रबंधक मुंबई श्री सरबजीत सिंह, आंचलिक कार्यालय मुंबई में पदस्थ राजभाषा अधिकारी श्री रवि यादव तथा प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग में पदस्थ मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री निखिल शर्मा उपस्थित रहे।

मुक्ति

वर्षा पटेल

षष्टिपूर्ति, व्यक्ति के आत्मप्रेक्षण का अनुकूल समय होता है। विगत साठ वर्षों में कितना कुछ कथ्य होगा जो अकथ्य रह गया होगा परंतु घनश्याम बाबू के लिए यह एक सामान्य अवसर था। तात्क्षणिक प्रभाव मात्र इतना था कि वह सक्रिय नौकरी पेशे से सेवानिवृत्त हो गए थे लेकिन नौकरी के प्रति उनका आग्रह आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सिमित था। अब जबकि वह स्थाई जीवन की ओर अग्रसर थे तो नौकरी के प्रति कोई मोह शेष नही था। बचपन में ही पिता की मृत्यु और फिर संयुक्त परिवार में सामंजस्य के लिए उनके माँ द्वारा सभी परिवार जनों के लिए अथक सेवा उन्होंने देखी थी। उन्हें मालूम था कि उनकी माँ सब कुछ सहते हुए भी प्रात: 05 बजे से रात्रि 11 बजे तक जी तोड़ मेहनत करती है, सबके भोजन के लिए चिंतित रहना और सबकी सुविधाओं का ख्याल रखना। कल्पना नहीं की जा सकती थी कि उनकी अनुपस्थिति में इस परिवार का क्या होगा परंतु घनश्याम जी जानते थे कि इसके पीछे माँ की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि घनश्याम बाबू की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो। अगर माँ के उत्सर्ग से बच्चे को परिवार में समर्थन मिल जाता हो तो यह बड़ी छोटी सी कीमत थी। कभी-कभी घनश्याम बाबू माँ से झगड़ा करते कि संयुक्त परिवार में उनका भी तो हिस्सा होगा लेकिन माँ उन्हें दुलारते हुए चुप कर देती कि हिस्से से अधिक अपनी पढ़ाई और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। यह परिवार हमें आसरा देता है यह क्या कम है?

वहीं घनश्याम बाबू पढ-लिख कर एक महाविद्यालय में प्राध्यापक और फिर प्राचार्य के पद पर आसीन हुए। शैक्षणिक यात्रा के क्रम में कई बार विदेश हो आए थे लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन निर्विकार और निर्लिप्त ही था। शायद माँ की सीख उन्होने खूब अच्छी तरह समझा था, यह क्या कम है? संतोष उनकी वृत्ति भी थी और सिद्धांत भी। वे मानते थे कि अनुभवों का साझा नहीं किया जा सकता है और किसी को समझाया नहीं जा सकता। समझाइश की उम्र बहुत छोटी होती है, आदमी भूल जाता है परंतु यदि अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से कोई सीखता है तो ऐसी सीख स्थाई होती है। शायद इसलिए उनके बेटे ने लगी हुई नौकरी छोड़कर एमबीए करनी चाही तो घनश्याम बाबू जी ने कोई प्रतिवाद नही किया। तब भी जब उनके बेटे ने अपने किसी मित्र के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। वधु के घरवाले सीधा-साधा समारोह चाहते थे। घनश्याम जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी लेकिन बेटे का अरमान अधूरा न रहे इसलिए बहुत बड़े स्तर पर मित्रों व संबंधियों को विवाह की दावत दी। पता नहीं किस मिट्टी के बने थे कि जब बहू ने यह घर छोडकर किसी नए घर में जाने का प्रस्ताव रखा तो किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नही किया। तब घनश्याम बाबू की पत्नी बहुत चीखी-चिल्लाई। वह बहू के मनोभाव को ताड़ रही थी परंतु घनश्याम बाबू ने सिर्फ इतना कहा था कि बच्चे में मेरे संस्कार के बीज है, उसे अंकुरित होने दो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होने बहू को आशीर्वाद दिया और कुछ जरूरी तैयारियों के साथ बहू को नए घर में जाने की स्वीकृति दे दी। कुछ समय बाद पता चला कि बच्चा एमबीए छोडकर पुन: नौकरी में लग गया। इस समय घनश्याम बाबू मकान के बाहर फुलवारी में लगे आउट हाउस में चले गए।

आउट हाउस का किस्सा भी सुना देती हूँ। घनश्याम बाबू का मकान विशाल भूखंड पर बना था, जिसके आधे हिस्से में मकान एवं आधे हिस्से में फुलवारी इत्यादि थी। इसी फुलवारी के मध्य एक कमरा, पूजा घर, बरामदा था जिसे आउट हाउस कहते थे। वस्तुत: यह आउट हाउस घनश्याम बाबू जी ने अपने माँ के लिए बनवाया था। वैसे दादी जी अक्सर गाँव में ही रहती थी फिर भी साल के विशिष्ट अवसरों पर वह अपने बेटे के घर जरूर आती थी। इस दौरान उनकी दिनचर्या से किसी के भाव में खलल न पड़े, इसका ख्याल रखने के लिए वह आउट हाउस में ही रहती थी। तड़के उठकर फुलवारी की सेवा करना, चाय बनाकर पीना और स्नानोपरांत पूजन इत्यादि करके मुख्य भवन में उसी समय आती थी जब घनश्याम बाबू जाने की तैयारी कर रहे होते थे। फिर रात्रि के भोजन तक बच्चों व उनकी पत्नी के साथ हिली-मिली रहती थी। इन दिनों में घनश्याम बाबू का अधिकांश समय भी आउट हाउस में ही व्यतीत होता था। एक बार मैंने माँ से पूछ लिया कि दादी के आने के पश्चात बाबूजी आपका ख्याल नहीं रखते है तो माँ का सपाट उत्तर था कि तुम्हारे बाबूजी मेरे पास होने के वक्त माँ जी को याद नहीं करते क्योंकि उन्हें रिश्तो का घालमेल

पसंद नहीं इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं। घनश्याम बाबूजी की माता जी नहीं रही परंतु अब भी अवसाद के क्षणों में बिना किसी प्रतिक्रिया के वे आउट हाउस में चले जाते थे। शायद वह स्थान उन्हें माँ की गोद सा लगता था और वही अंतर्व्यथा झेलकर वापस सहज रूप में लौट आते थे।

विवाह के एक वर्ष के भीतर विधाता ने घनश्याम बाबू की बड़ी बेटी की मांग सूनी कर दी थी। ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर वह अपने पिता के पास आ गई थी और मैं घनश्याम बाबू की तीसरी संतान थी। मैंने दीदी को अपना कमरा दे दिया था तथा खुद भोजन कक्ष में शयन करने लगी। दीदी उस कमरे को तंग बताती थी। दीदी के स्वभाव के बारे में इतना स्पष्ट करना अच्छा होगा कि वह सात वर्षों तक माता-पिता की इकलौती संतान थी इसलिए थोडी ढीठ, तुनक मिजाज व जिद्दी भी थी। दीदी ने जिद पकड़ लिया था कि उनके रहने के लिए विस्तृत कमरा होना चाहिए। अवकाश प्राप्ति के बाद घनश्याम बाबू ने आर्थिक तंगी से बचने के लिए ऊपर का हिस्सा किराए पर दे दिया था। एक दिन पिताजी अपने तीन वर्षीय नाती के साथ खेल रहे थे, अचानक पूछ बैठे कि तुम्हारा लड़का बहुत घुल-मिल गया है, तुम चाहो तो कही कोई नौकरी कर सकती हो। इस पर दीदी रोने लगी कि मैं आप पर भार बन गई हूँ। बाबू जी अवाक रह गए, जिस बात की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, बेटी उसे अपनी जुबान पर ले आई, इस वेदना का एक ही उपाय था आउट हाउस। आउट हाउस आते ही उन्होंने किराएदार को बुलाया और विनम्रता से कहा कि यदि वह चाहे तो आउट हाउस किराए पर ले सकते है क्योंकि ऊपर का हिस्सा खाली करवाना है। किराएदार समझदार था अगले ही दिन अपने अस्बाब लेकर नई जगह पर चला गया। दीदी ऊपर के कमरे में रहने लगी। उन्होंने कोई नौकरी भी कर ली और बच्चे का भार बाबू जी पर। बाबू जी को हंसी आई कि मनुष्य का मन कितना चंचल होता है, अभिष्ट प्राप्ति के पश्चात इंसान उस अभिष्ट की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासो को विस्मित कर देता है।

घनश्याम बाबू थोड़े चिंतित रहने लगे। चिंता का कारण था बेटे की गृहस्थी। सुन रहे थे कि अब बहू वापस इसी घर में आना चाहती है क्योंकि नए मकान में उनका गुजारा नहीं हो रहा था। अधिकांश कमाई किराये के मकान, भोजन इत्यादि दैनिक जरूरतों में ही शेष हो जाता था और दूसरी जरूरतें परस्पर कलह का कारण बन जाती थी। सोचने वाले तो यह भी कहते थे कि जिस तरह बड़ी बेटी ने ऊपर का हिस्सा कब्जा कर लिया है, बड़ी बहू पूरे मकान पर कब्जा करना चाहती है, परंतु घनश्याम बाबू स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचते थे। उनके मतानुसार उनके बेटे का परिवार अनुभवों की यात्रा से गुजर रहा था और एक दिन।

पिछले एक सप्ताह से बाबू जी की तबियत ठीक नहीं थी। माताजी तन-मन से उनकी सेवा में तल्लीन थी। बाबूजी ने मुझे बुलाकर आउट हाउस ले जाने को कहा। मैं उन्हें वहाँ ले गई। वहाँ पहुचने ही वे निढ़ाल होकर बिस्तर पर गिर पड़े। माथा ज्वर से तप रहा था और वह कुछ आत्मकथ्य भी बड़बड़ा रहे थे। बेटी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। दोनों बच्चों की शादियां और दिनचर्या तो सुनिश्चित हो गई परंतु तुम्हारे लिए अभी भी मेरे मन में कसक है। वैसे तो तुम गुणी हो, सुशिक्षित हो लेकिन मेरा कर्तव्य निर्वहन शेष है। मैं अपने अनुभवों की यंत्रणा से किसी को पीड़ित नहीं करना चाहता। मेरी माँ ने मुझे हमेशा यह समझाया कि व्यक्ति को नितांत अकेले होकर ही निर्णय लेना चाहिए। यदि निर्णय गलत भी हो तो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और यदि निर्णय सही हो तो पूरा श्रेय उसी को मिलेगा। तुम्हारी दीदी थोडी स्वार्थी है पर इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसने हमेशा अपने लाभ की बात सोची है क्योंकि बड़ी थी, दुलारी थी तो परिवार के सब कुछ पर अपना अधिकार मानती है। तुम्हारे भैय्या को हमेशा मैंने संस्कारी समझा है और इसलिए चाहता हूँ कि मेरे आखिरी दायित्व को वह संभाल लेता व मुझे मुक्त करता।

यही वह क्षण था कि जब पिताजी के कर पर किसी के उष्ण आंसू की बूंद टपकी और पिताजी चौककर उठ गए, भैय्या उनके सिराहने खड़े उनसे क्षमा याचना कर रहे थे। बाबूजी मैंने कई भूलें की, पर आश्वस्त था कि इन भूलों का तोड़ मेरे बाबूजी के पास होगा ही। इस बरगद की छाया में उछलने-कूदने के शौक पूरे किए थे तो जवानी में यह शौक कहाँ थम पाता लेकिन आप सच कहते थे कि आदमी अपनी भूलों से सीखे तो ही परिपक्व हो पाता है। आज मैं आपके पैरों पर इसलिए खड़ा हूँ कि आपसे मांगकर अपनी छोटी बहन के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करूँ। आपकी कुल संपत्ति में से सिर्फ मुझे आश्रय चाहिए ताकि मेरा बेटा भी आपकी संस्कारों की छाया में मानवता का पाठ पढ़ सके। बाबूजी ने लपककर बेटे को गले से लगा लिया मैं जानता था तू मुझे मुक्त करने अवश्य आएगा और जब आएगा तो तुम्हारे अंदर मेरी प्रतिछाया होगी। आज मैं अपना वंशज और अपनी माँ की परम्परा तुम्हारे हाथ में सौपता हूँ। भैय्या ने उनके चरण स्पर्श करने चाहे तो बाबू जी का शरीर निष्क्रीय होकर लुढ़क गया लेकिन अपने अथाह अनुभवों का समंदर लिए उनकी आँखे विष्फारित थी। जैसे उनकी समस्त चेतना आँखो में और आँखे अपनी परंपरा के प्रतीक पुरुष पर टिकी थी। माँ ने जोर से रुदन करते हुए कहा बेटा गंगाजल पिला, तुम्हारे पिता मुक्त हो चुके है।

-वरिष्ठ प्रबंधक
आंचलिक कार्यालय भोपाल

श्री ए के सिंह

बेटी

हवाई जहाज में बैठते ही पत्नी सुधा की आवाज कानो में गूंजने लगी "उस लड़की से ज्यादा बात मत करना, हमें उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जब हमारा बेटा ही ना रहा तो उसका भी क्या करेंगे। वैसे भी उसे नौकरी ही करनी है, करती रहेगी वहीं रहकर, हम कर लेंगे गुजारा जैसे-तैसे। मुझे नहीं अच्छी लगती वह, हमारा अविनाश छीन लिया उसने हमसे।" दिल्ली से बेंगलुरू 2 घंटे की फ्लाइट में अविनाश के 28 साल के जीवन तक की बस यादें ही आती रही और उनके साथ आते रहे आंसू। अविनाश 25 साल का था, जब बेंगलुरु आया था एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने। उसके अगले ही साल अविनाश ने श्रेया से कोर्ट-मैरिज कर ली। बेशक हमें बुलाया था और हम पति-पत्नी सुबह की फ्लाइट से गये थे लेकिन रात की फ्लाइट से वापस आ गये थे। दिल पर पत्थर रख लिया था हमने, इकलौते बेटे के ऐसा करने से।

अविनाश शुरु से ही जिद्दी रहा था, इकलौता था ना। तब से बस एक बार बहू को लेकर घर आया था दो दिन के लिए और आज उसका बेंगलुरू में ही अंतिम संस्कार होना था। ना जाने कैसे कोरोना की चपेट में आ गया था...और फिर बच ना सका। श्रेया मुझे लेने एयरपोर्ट पर आई थी, मुँह पर मास्क, हाथों मे दस्ताने, आंखो में आंसू। मेरे मन में बनी उसकी छवि से वह बिल्कुल अलग लग रही थी, पैरों में झुकी तो मेरा हृदय द्रवित हो गया उसे सफेद कपड़ों में देखकर लेकिन फिर सुधा की आवाज कानो मे गूंजी तो दिल कठोर कर लिया और अपने हाथ पीछे खींच लिए। शमशान घाट पर बॉडी-बैग में लिपटा पड़ा था अविनाश। बहुत कहने के बाद मेडिकल-कर्मियो ने अंतिम दर्शन करवाए, कैसी विषम परिस्थिति थी। बाप को बेटे का मृत शरीर अग्नि को समर्पित करना हो तो इससे अधिक दुर्भाग्य की स्थित नहीं हो सकती, बस यही तक का साथ था हमारा। अग्नि देते ही मुझसे खड़ा ना रहा गया, चक्कर आने लगे तो श्रेया ने संभाला और अपने साथ घर ले आई। श्रेया एक अनाथ लड़की थी, अनाथालय में ही पली-बढ़ी थी, उसे परिवार के साथ रहने का अनुभव ना था। अपनी मेहनत के बूते ही अविनाश के साथ कंपनी में काम करती थी, जहां वह उसके सम्पर्क में आई। दोनों मे दोस्ती हुई और उन्होंने शादी कर ली। उसके साउथ इंडियन और अनाथ होने के कारण ही बेटे और उसने कोर्ट-मैरिज का फैसला लिया था। घर में मैंने आराम किया तो बेचैनी खत्म हो गई। श्रेया ने बहुत स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना बनाया, खाने के बाद मैं अविनाश का सामान देखने लगा। उसका बैग खोला तो एक गुप्त जेब में एक लिफाफा निकला, मैंने श्रेया को दिखाया उसे बहुत आश्चर्य हुआ। 4 महीने पहले श्रेया ने हमारे लिए लिखा था। उसके पास हमारा पता न होने के कारण उसने अविनाश को दिल्ली के घर का पता लिखकर कूरियर करने के लिए दिया था। पूछने पर अविनाश ने बताया था कि उसने पत्र भेज दिया है। पत्र देखकर बेचारी हैरान परेशान होकर रोने लगी, मैंने दुखी होते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए चुप कराया। ज़रा सा स्नेह मिलते ही उसका सब्र का बांध टूट गया और वह मुझसे लिपटकर जोर-जोर से रोने लगी, उसके साथ-साथ मैं भी रो पड़ा। उसकी इजाज़त लेकर मैं पत्र पढ़ने लगा जो उसने टूटी-फूटी हिंदी में लिखी थी लेकिन उसका भाव मेरे हृदय के तार झंकृत कर गया। वह हमारे साथ रहना चाहती थी; हमारी बेटी बनकर, माँ-बाप का प्यार पाना चाहती थी लेकिन अविनाश को माँ के गुस्से का डर था और श्रेया को हिंदी भी आती न थी। दिल्ली में नौकरी की भी समस्या रहती तो वह चाहता था कि हम ही बेंगलुरू आ जाएं लेकिन इसके लिए मैं खुद राजी न था। इस पारिवारिक समस्या में वह बेचारी फँस गई थी। उसने हिम्मत करते हुए हमें पत्र भी लिखा तो वह हम तक न पहुँचा। सच में! यदि पत्र हम तक पहुँचता तो भी मैं सुधा को समझा लेता।

पत्र में उसने 'अपने गर्भवती होने की भी सूचना दी थी जो अविनाश ने कभी फोन पर भी नहीं बताया था। मैं कोई भावुक व्यक्ति नहीं हूँ लेकिन इन सब बातों ने मुझे अत्यधिक व्यथित कर दिया। सुधा को भी मैं जानता हूँ, अड़ जाए तो मानती नहीं, बेटे जैसी ही जिद्दी है लेकिन अब मेरे जिद्दी बनने का समय था। मैंने श्रेया को उसका सामान पैक करने, जॉब से रिजाइन करने और दिल्ली के टिकट बुक करने के लिए कह दिया। इसके बाद श्रेया के चेहरे पर जो भाव थे, उनका शब्दों में बयाँ करना असम्भव है। हमने बेटा खोकर बेटी पा ली थी और उसकी कोख में पल रहे बेटे को।

-सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

राजभाषा उपलब्धियाँ

बैंक के आंचलिक कार्यालय पंचकूला को वर्ष 2022-23 के दौरान राजभाषा के प्रयोग में सराहनीय प्रयास हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पंचकूला से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। नराकास अध्यक्ष के कर कमलों से आंचलिक प्रबंधक श्री अनिल कुमार ने पुरस्कार और प्रमाण पत्र ग्रहण किया।

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पणजी द्वारा बैंक की शाखा पणजी को वर्ष 2023 में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए शाखा श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नराकास की छमाही बैठक में नराकास अध्यक्ष से यह पुरस्कार शाखा अधिकारी कुमारी प्रीति सिन्हा ने प्राप्त किया।

बैंक की रोहतक शाखा को वर्ष 2023 में राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), रोहतक से कार्यालय (लघु) श्रेणी में द्वितीय राजभाषा शील्ड प्राप्त हुआ। शाखा प्रभारी श्री अमित अंजन को यह पुरस्कार नराकास अध्यक्ष के कर कमलों से प्रदान किया गया।

साइबर सुरक्षा : चुनौतियाँ एवं समाधान

किरन कुमारी

सूचना एवं साइबर सुरक्षा का अर्थ है डाटा सुरक्षा। हमारी जानकारी जो किसी भी कंप्यूटर में ऑनलाइन या सॉफ्ट कॉपी बनकर सुरक्षित रहती है, किसी हैकर की माध्यम से चोरी कर ली जाती है। हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसका प्रभाव क्षेत्र किसी देश के शासन, अर्थव्यवस्था और कल्याण के सभी पहलुओं को कवर करने में सैन्य प्रभाव व उसकी महत्ता से किसी प्रकार कम नहीं है। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इससे संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है। जब लोग किसी देश के खिलाफ साइबर अपराध करते हैं, तब साइबर क्राइम इतना भयंकर रूप धारण कर सकता है कि इसे साइबर आतंकवाद का नाम दे दिया जाता है।

एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिए मनुष्य की पहुंच विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में हर वह चीज जिसके विषय में इंसान सोच सकता है उस तक उसकी पहुंच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि।

साइबर अपराध

साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किए जाते हैं। कुछ साल पहले इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के मामलों में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है जहां साइबर अपराध की घटनाओं की दर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के मामलों में साइबर अपराधी किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिए कर सकता है। इस प्रकार की सूचनाओं को ऑनलाइन खरीदना या बेचना साइबर अपराध कहलाता है।

साइबर अपराध एक व्यापक शब्द है। यह एक छोटे हास्य से लेकर देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने तक की परिधि का हो सकता है। किसी व्यक्ति की कोई ऐसी हरकत जिससे दूसरे व्यक्ति की मान-मर्यादा को नुकसान पहुंचे या कोई मानसिक या शारीरिक आघात पहुंचे, यह सभी साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक गतिविधि है जिसे कंप्यूटर इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड जानकारी की चोरी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डाटा हैक करना, फिशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार सहित कई गतिविधियां शामिल हैं। गौरतलब है कि सॉफ्टवेयर चोरी भी साइबर अपराध का ही एक रूप है।

साइबर अटैक के प्रकार

मालवेयर : किसी भी डिवाइस के डाटा को अपने कंट्रोल में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी नेटवर्क को हैक करने के लिए स्रोत में लिंक और ई-मेल अटैच होते हैं, उस लिंक पर क्लिक करने पर सॉफ्टवेयर रन हो जाता है और मोबाइल का पूरा कंट्रोल, हैकर के हाथों में चला जाता है। हैकर अब उस डाटा का इस्तेमाल कैसे भी कर सकता है जैसे स्पाइवेयर, वायरस, रेंसमवेयर आदि।

हैकिंग : जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए आपकी कंप्यूटर नेटवर्क तथा सरवर आदि में तकनीक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिस्टम को अपने अनुसार परिवर्तित कर डाटा चुराता है, नष्ट कर देता है या फिर उसमें संशोधन कर देता है, यह प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। जिस व्यक्ति द्वारा यह तकनीक को अंजाम दिया जाता है उस व्यक्ति को हैकर कहते हैं।

पहचान चुराकर अपराध करना : इस प्रकार की घटना प्रायः ऐसे व्यक्ति के साथ होती है जो उच्च पदों पर आसीन होते हैं और उनकी सभी प्रकार

की कैश ट्रांजैक्शन, उनके क्लाइंट के साथ होती रहती है। ऐसे में उनका कोई सहयोगी या करीबी जानकार व्यक्ति उनके अकाउंट से जुड़ी सभी जानकारी चुपचाप चुरा लेता है, फिर उनके बैंक क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि का नंबर प्राप्त करने के बाद ही उसके बैंक अकाउंट से पैसों का गबन करता है जिसकी जानकारी खाताधारक को नहीं होती है जबकि यह एक बड़ा क्राइम है। ऐसा अपराध करने वाले शख्स पर पहचान परिवर्तन (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43, 66, सी, आईपीसी की धारा 419 लगाए जाने का प्रावधान है जिसमें दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष की कैद या ₹100000 का जुर्माना किया जा सकता है।

साइबर स्टॉकिंग : इस प्रकार का अपराध मुख्य रूप से सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल साइट आदि के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत अपराधी ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जिसमें या तो कोई छोटे बच्चे हो या फिर टीन एजर्स शामिल हो। इस तरह के प्रकरण में आई-डी संशोधन कानून 2009 की धारा 66 ए के तहत 3 वर्ष की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

सूचना एवं साइबर सुरक्षा की चुनौतियां

- **दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट** : कई सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे हानिकारक सॉफ्टवेयर बनाए हुए होते हैं। इन पर जाने से अनजाने में हुए एक क्लिक की वजह से वह हानिकारक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है जिसकी मदद से हैकर्स को अवैध पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती है।

- **एकीकृत प्रतिक्रिया का अभाव :** राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने और उन्हें कम करने के लिए एक एकीकृत प्रतिक्रिया को लागू करने में प्रभावी समन्वय, उत्तरदायित्व का विज्ञापन और स्पष्ट संस्थागत सीमा व जवाबदेही की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

- **आवश्यक क्षमता का अभाव :** भारत के मामले में स्वदेशी क्षमता आत्मनिर्भरता का अभाव है। किसी भी देश में आवश्यक क्षमता का अभाव उस देश को शत्रु राष्ट्र और अन्य अराजक तत्वों द्वारा प्रेरित साइबर अपराधों से असुरक्षित बनाता है।

- **नई प्रौद्योगिकी** : नई प्रौद्योगिकियों के विकास ने हमें विभिन्न तरीकों से विकसित होने और बढ़ने में मदद की है परंतु वह साइबर सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां भी पेश करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विकास के साथ सॉफ्टवेयर हर नए अपडेट के साथ लगातार बदलता रहता है। यह नए संशोधन अक्सर नए मुद्दों को भी पेश करते हैं जो सिस्टम या नेटवर्क को कमजोर करते हैं और साइबर अपराधियों के संपर्क में लाते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में डिजाइन और कार्यान्वयन का एक नया सेट शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप कमजोरियों के नए रूप सामने आते हैं जिनसे संगठन आमतौर पर अनजान होते हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जो भी प्रयोग करता है, उसे हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक कदम बढ़ाते जरूर है परंतु हम खतरे की ओर भी अग्रसर होते हैं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक नया नाम आया है जो सारे कंप्यूटर हैक कर सारी जानकारी चुरा लेता है। हमारे टेक्नोलॉजिस्ट उसको रोकने में लग जाते हैं परंतु कितना समय लगेगा, ये कोई जानकारी नहीं होती है। यदि वह पता लगा भी लेते हैं परंतु बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है।

- **यूआरएल** : आज हम चार दीवारों में कैद होकर रह गए हैं। मनोरंजन के लिए हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल फोन है। हमारी जरा सी लापरवाही हमें बड़ी मुसीबत में फंसा देती है। साइबर अपराधी एक लिंक भेजते हैं, हम बिना सोचे समझे अगर उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा डाटा उन अपराधियों के पास चला जाता है, हमारे कांटेक्ट लिस्ट, बैंक खाते से जुड़ी सारी जानकारी और कोई भी डाटा जो हमने अपनी सहूलियत के लिए फोन में जमा किया था। साइबर अपराधी उसे अपनी तरह से उपयोग करते हैं। हमारे मोबाइल फोन से मिली जानकारी से सिर्फ हम ही नहीं बल्कि उन्हें भी खतरा होता है जिनका फोन नंबर हमारे फोन में सुरक्षित था। वे फोन नंबर लेकर उन्हें कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, जैसे अनचाहा लिंक भेज कर उनके खाते की जानकारी निकालना। अगर हम कहें कि हमने अपनी सुविधा के लिए सब कुछ अपने फोन नंबर से कनेक्ट कर लिया है और हैकर्स के पास हमारा फोन नंबर पहुंच गया है, तो हमारे खाते की सारी जानकारी और गोपनीयता खतरे में है।

साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के लिए समाधान

- **सब कुछ अदयतित रखें** : अधिकांश प्रमुख कंप्यूटर कंपनियां नई

बढ़ती कमजोरियों से बचाने के लिए नियमित अपडेट जारी करती रहती हैं। अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। इसे आसान बनाने के लिए स्वचालित अपडेट चालू करें।

- **मजबूत पासवर्ड :** पसंदीदा वाक्य से शुरू करने पर विचार करें और फिर प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर का उपयोग करें। यदि आप चाहते हैं तो जटिलता बढ़ाने के लिए संख्या, प्रतीक चिन्ह जोड़ें। फैक्ट्री में सेट किए गए किसी भी डिफॉल्ट पासवर्ड को बदलना सुनिश्चित करें, जैसे कि आपके वाई-फाई राउटर या घरेलू सुरक्षा उपकरणों के इनबिल्ट पासवर्ड।
- आपको अपने क्रेडिट कार्ड को फ्रीज करने पर विचार करना चाहिए जो किसी को भी आपकी व्यक्तिगत अनुमति के बिना आपके नाम पर क्रेडिट के लिए आवेदन करने से रोकता है।
- अपनी डाटा का बैकअप अपने पास सुरक्षित रखें ताकि डाटा चोरी होने की स्थिति में भी आपको ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े।
- पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल करने में सावधान रहें। सार्वजनिक वाई-फाई का उपयोग करते समय, आसपास का कोई भी व्यक्ति जो उसी नेटवर्क से जुड़ा होता है, यह सुन सकता है कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट पर क्या कर रहा है।
- फायर बॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। अज्ञात मूल की फाइलों को ना खोलें, समझ से काम ले। सोशल मीडिया साइट पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। साइबर कानून की जानकारी हासिल करें।
- जब संभव हो, प्रत्येक ऑनलाइन खाते के लिए मजबूत सिक्योरिटी वाला पासवर्ड दें। वित्तीय प्रबंधक से बात करके पैसे भेजने के अनुरोध की प्रमाणिकता को मौखिक रूप से सत्यापित करें। यह निर्धारित करने के लिए मानदंड अलग से हैं। धन हस्तांतरण, सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रत्येक ई-मेल अनुरोध का विश्लेषण करें। कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा प्रतिक्रियाओं पर लगातार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने वैश्विक साइबर अपराध संधि पर रूस के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्तावित संधि को अमेरिका के नेतृत्व वाले बुडापेस्ट कन्वेंशन के विकल्प के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है।
- सूचना और साइबर अपराध से बचने के लिए बार-बार पासवर्ड बदलते रहे, अपराधी की हरकत के लिए पासवर्ड और संग्रहित डेटा तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। यदि कोई मुसीबत में हो तो उसे घबराना नहीं चाहिए बल्कि किसी भी अन्य अपराध की तरह ही अपने स्थानीय पुलिस को इसकी रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम पर मदद पाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है।
- साइबर अपराधों से बचने के लिए सबसे आवश्यक है सावधानी। अंजान कॉल करने वालों को अपने बैंक खाता नंबर, एटीएम कार्ड पासवर्ड, ओटीपी या वित्तीय लेनदेन प्रयोग होने वाली अन्य जानकारियां कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। अपना ज्ञान बढ़ाए, जागरूक रहें। अपनी इंटरनेट बैंकिंग और बैंकिंग ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कभी भी सार्वजनिक स्थान जैसे साइबर कैफे, पार्क, सार्वजनिक मीटिंग और किसी भी भीड़भाड़ वाले स्थान पर ना करें।

बुडापेस्ट कन्वेंशन : साइबर क्राइम पर कन्वेंशन, साइबर क्राइम या बुडापेस्ट कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रीय कानूनों के समय से खोजी तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध को संबोधित करने की मांग कर रही है। यह आचरण के अपराधीकरण के लिए प्रदान करता है जिसमें अवैध पहुंच डाटा और सिस्टम के हस्तक्षेप से लेकर कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी और चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, साइबर अपराध की जांच करने के लिए प्रक्रियात्मक कानून उपकरण और किसी भी अपराध के संबंध में प्रमाण हासिल करना अधिक प्रभावी है। भारत ने कन्वेंशन में भाग नहीं लिया और अभी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह कन्वेंशन अपने अनुच्छेद 32 बी के माध्यम से डाटा तक सीमा पर पहुंच की अनुमति देता है और इस प्रकार राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है।

भारत में साइबर सुरक्षा कानून : साइबर अपराध के अंतर्गत आने वाले अपराध जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी का डाटा चोरी यह सब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आती हैं। साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया है इसके अंतर्गत धारा 43, 43ए, 66, 66बी, 66सी, 66डी, 66ई, 66एफ, 67 ए, 67 बी, 70, 72, 72ए और 74 बनाई गई हैं। साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है इसके लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को भी नोडल एजेंसी बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की गई, इसके तहत राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र का भी गठन किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना की गई जो साइबर सुरक्षा के लिए बनाया गया है। भारत सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की

स्थापना की है। अगर विश्व स्तर पर देखें तो भारत, साइबर हमलों के मामले पर 11वें स्थान पर है। प्रत्येक देश ने अपने अनुसार कानून भी बनाए हैं।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार (आईटीयू): एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसे "प्रमुख वैश्विक मंच" माना जाता है जिसके माध्यम से पार्टियां आईसीटी उद्योग की भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाले मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आम सहमति की दिशा में काम करती हैं, (आईटीयू ,एनडी) ने ग्लोबल लॉन्च किया है। साइबर सुरक्षा एजेंडा जो "सूचना समाज में विश्वास और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक ढांचा है" आईटीयू एन डी है। आईटीयू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा पांच रणनीति के स्तंभों की पहचान करता है : वह है कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक, क्षमता निर्माण और सहयोग।

- **कानूनी स्तंभ साइबर सुरक्षा :** साइबर निर्भर और साइबर अपराध वाले अपराधों से संबंधित सामंजस्यपूर्ण नियमों और कानूनों पर केंद्रित है।
- **तकनीकी स्तंभ :** मौजूदा तकनीकी संस्थानों, साइबर सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल तथा साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आवश्यक उपायों को शामिल करता है। इसके अंतर्गत घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है जिससे हमले को जल्दी रोका जा सके और जांच की जा सके।
- **संगठनात्मक स्तंभ में साइबर सुरक्षा :** साइबर सुरक्षा नीति के समन्वय के लिए जिम्मेदार एजेंसियों पर संगठनात्मक संरचना और नीतियां शामिल है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीतियों और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचे को इस स्तंभ में शामिल किया गया है, साथ ही नियामक निकाय और जो इन रणनीतियों और ढांचे के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।
- **क्षमता निर्माण स्तंभ :** यह साइबर सुरक्षा जागरूकता, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के प्रयासों को शामिल करता है। उदाहरणों में जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास, पेशेवर प्रशिक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा तथा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन साइबर सुरक्षा जागरूकता और शिक्षा अभियानों के अलावा ,आईटीयू देशों को उनकी क्षमता निर्माण प्रयासो में सहायता करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया में स्टे स्मार्ट, कनाडा में गेट साइबरसे, यूनाइटेड किंगडम का गेट सेफ ऑनलाइन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टे सेफ ऑनलाइन और म्यांमार में साइबर बाइकिन नाम से अभियान चलाए जा रहे हैं।
- **सहयोग स्तंभ:** अंतर एजेंसी और सार्वजनिक निजी भागीदारी, सूचना साझाकरण नेटवर्क और सहकारी समझौतों पर केंद्रित है। सार्वजनिक निजी सहयोग और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की अंतरराष्ट्रीय साइबर रणनीति का उदाहरण है।

हमें यह तो समझ में आया कि साइबर अपराध का खतरा हर समय बना रहता है। हम सबको इंटरनेट का उपयोग करते समय छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा डाटा चोरी होने से बच सके। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है परंतु सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक प्रयोग ही हमें ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराध की गंभीर खतरों से बचा सकता है। यूक्रेन संघर्ष ने हाल ही के तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उभरते स्वरूपों को सामने लाने का काम किया है।

हमें अपना डाटा सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें खुद को इसके बारे में सतर्क रखना होगा। अपने कंप्यूटर में नेटवर्क सुरक्षा सेटिंग को अपडेट रखना चाहिए। कंप्यूटर और मोबाइल में एक अच्छे और उचित एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए जिससे कंप्यूटर सभी प्रकार के वायरस और मालवेयर से मुक्त रहेगा। जागरूकता में वृद्धि, मौजूदा साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर, शैक्षिक पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा को शामिल करके तथा एकीकृत दृष्टिकोण से भी हम सूचना और साइबर सुरक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक देश को एक ऐसी नीति व कार्य योजना बनानी चाहिए जो सूचना एवं साइबर से जुड़े अपराध व आतंक की संभावनाओं से निपट सके। बेशक, साइबर और सूचना की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। सतर्क रहें, सक्रिय रहें, सचेत रहें। एंटीवायरस का उपयोग करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुरक्षित रहें। राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालते हुए सरकारी स्तर पर साइबर अपराध के परिणाम के रूप में कई गोपनीय डाटा लीक हो चुके हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इससे राष्ट्र के लोगों के जीवन को खतरा हो। नुकसान आर्थिक स्तर पर भी हो सकता है। देश में साइबर अपराध के कारण करोड़ों का नुकसान हो चुका है।

-अधिकारी
आंचलिक कार्यालय बरेली

काव्य मंजूषा

सेवानिवृत्ति के बाद

मेरी सेवानिवृत्ति के बाद
मेरी कुर्सी, मेरा मेज,
मेरे दराज, इस्तेमाल मे आई
मेरी हर चीजों को,
यहाँ तक कि फर्श को भी
रगड़-रगड़ कर साफ किया जाएगा
उन पर चिपकी हुई
ढेर सारी मेरी यादों को,
कुछ खुशनुमा लम्हों को
खरोंचकर बड़ी निर्ममता से
फेंक दिया जाएगा
मेरे वजूद को वहाँ से
मिटा दिया जाएगा
सदा के लिए

वह नामपट्ट की तख्ती
जो मेरा परिचायक था कभी
दरवाजे पर नमूदार था अलमस्त
कुछ पेंचों के सहारे टिका था
वहाँ जबरदस्त,
उस पर कसे गए पेंचों को
समय के विपरीत दिशा में
घुमा-घुमाकर खोला जाएगा
मेरे वजूद को मुझसे अलग किया जाएगा

एक जिद्दी पेंच उनमें
ऐसा भी रहा होगा
जो बेवजह मुझसे
अलग होना नहीं चाहा होगा
चिपका रहा होगा मेरे साथ
चोट खाकर भी
टस-से-मस न हुआ होगा

एक चतुर-सा पेंच भी होगा
जो अपनी जगह से निकला न होगा
चकमा देकर गोल-गोल घूमते हुए
'स्लिप हो गया है' कहकर
वैसे ही छोड़ दिया होगा उसे
वहीं अपनी जगह पर

एक विवेकशीलपेंच
ऐसा भी रहा होगा
जो आसानी से साथ नहीं
छोड़ना चाहा होगा
पर दबाव सह नहीं पाया होगा
धैर्य खोकर
दुखी मन से अलग हुआ होगा

एक पेंच ऐसा भी होगा
जो धड़विहीन रहा होगा
'स्पाइन-लेस', मतलब-परस्त
कहने को वहाँ मौजूद होगा
पर ऐन मौके पर
भाग खड़ा हुआ होगा
सिर के बल
चापलूस किसी के भी नहीं होते

उनमें से एक पेंच
अपनी वफादारी निभाते हुए
मेरी रक्षा में
धड़ से जुदा हुआ होगा
आत्मबलिदान देकर
कर्तव्य का पालन किया होगा
धड़ जो अब भी तख्ती को संभाले होगा
उस तख्ती को
तल्खी से तोड़ा जाएगा
मेरी चोटिल काया को
बेरहमी से विच्छेद किया जाएगा
टुकड़ों में बँटी उस तख्ती को
कहीं कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा
मूर्च्छित.. निष्प्राण ..
यों अवसान होगा मेरे अस्तित्व का
मेरे सेवा-निवृत्ति के बाद

-प्रदीप कुमार राय
सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

काव्य मंजूषा

कुछ रह तो नहीं गया?

मैने माँ को ही नही खोया था
बल्कि खोया था अपना बचपन
अल्हड़पन, मासूमियत और लड़कपन।
बाल्यकाल में जब माँ से किसी को कहते
सुना था कि उसके बाद मेरा क्या होगा
लड़कपन में भी गंभीर हो गया था मन
रूंध गया था कंठ, डर गया था मन
एक अनजान अनहोनी के अंदेशों से
होनी को भला कौन टाल सकता
आ गया वो दिन जब माँ का पार्थिव शरीर
पड़ा था बरामदे में, जा रही थी वो अपने
लाल को छोड़कर हमेशा के लिए॥

अनजान किसी कोने में
बंद दिमाग से किसी अनजान भय को
सोचते हुआ खड़ा था, दिल तब तक मन
से सहमत नहीं था कि छूट गया है
ममता का बंधन, छूट गया है मातृत्व का साथ
रिश्तेदार के सहानभूति भरे हाथ जब मेरे
सर को छू रहे थे तब भी मन मानने को तैयार नही था।
सब्र का बांध तब टूटा जब बाँस के ठठरी पे माँ को सुलाया गया
कभी पूरी आसमान अपने बातों से उठा लेने वाली माँ
गहरी निद्रा में थी शायद ऐसी चिर निद्रा जो कभी खत्म न हो।
खामोश, स्थिर, शांत ऐसे जैसे कभी नही हुई हो।
फिर शुरू हुआ माँ के साथ अंतिम सफर, हमेशा पल्लू पकड़े रहता था
आज पीछे-पीछे चल रहा था ख़ामोश बंद दिमाग से॥

ये भारी सफर जिसमे माँ का साथ छूट रहा था
ऐसे सफर की परिकल्पना भी नहीं की थी।
सबसे छोटे होने के नाते लोगों को सबसे ज्यादा
सहानभूति मेरे से ही थी।

चला जा रहा था अंतिम सफर पे माँ के साथ।
अंतिम सफर का अंतिम पड़ाव खत्म हुआ
अंतिम दर्शन के फलस्वरूप, माँ अग्नि में विलीन हुई।
उस दिन माँ को ही नही खोया था, बल्कि खोया था अपना बचपन।

कुछ रह तो नहीं गया?
विष्णुपद से लौटते वक्त किसी ने पूछा।
नहीं कहते हुए सब आगे बढे...पर नजर फेर ली
एक बार पीछे देखने के लिए....
माता की चिता की सुलगती आग देखकर मन भर आया ।
भागते हुए गया, माँ के चेहरे की झलक
तलाशने की असफल कोशिश की
और वापिस लौट आया
रिश्तेदरों ने पूछा... कुछ रह गया था क्या?
भरी आँखों से बोला...
नहीं कुछ भी नहीं रहा अब...
और जो कुछ भी रह गया है वह सदा मेरे साथ रहेगा॥

-राहुल कुमार सिन्हा
अधिकारी
निवाई शाखा, जयपुर अंचल

मूल संथाली लेख

यशोदा मुर्मू

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*****

[illegible]

*****

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*****

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*****

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*****

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]"

"[illegible]"

*****

"[illegible]"

पूर्वजों की जमीन

(मूल संथाली लेख का हिंदी अनुवाद)

यशोदा मुर्मू

प्रातः भोर भए ही काम के लिए तैयार होकर घर के आंगन में दमु ने ढीब को आवाज़ लगाई - ढीब, ओ ढीब। आज काम करने जाना है कि नहीं क्योंकि अभी भी तुम तैयार नहीं हुए हो। घर के भीतर से ढीब ने अतिशीघ्र उत्तर दिया - जाऊंगा दमु भाई! तैयार हो ही गया हूं। यह कहते-कहते ढीब घर के आँगन में आ गया। तैयार होकर घर से निकल कर दोनों मार्ग में अग्रसर होते गए। ढीब ने अनायास ही कहा "दमु दा! आज रात आप ठीक से सोए नहीं। जब भी मैं उठा, आपको करवटें बदलते देखा।"

दमु ने कहा "हां ढीब, आज रात मैं सही से सो नहीं पाया। बहुत कुछ, यहाँ-वहाँ की बातें सोच रहा था। मेरे आँखों के समक्ष कुछ चित्र मानो आकार ले रही थी। हमारे दादा पूर्वजों की बातें सोच रहा था। कैसे हमारी दादी माँ, गर्मी की दोपहर में, धान की कुटाई के समय अपने पूर्वजों के कहानियाँ और किस्से सुनाया करती थी। यह सब बातें करते-करते दोनों मजदूरी की जगह में पहुंच गए। ठेकेदार के यहाँ हाजिरी देकर दोनों काम में लग गए।

दमु और ढीब सुबह को पानी भात खाकर निकल पड़े थे। एक छोटे से घर में रहते थे दोनों। आसपास, वैसे ही काम करने वाले, भाड़े के घर में और भी लोग थे। मजदूरी कर शाम को घर लौट के खाना बनाने में जुट जाते थे दोनों सुख-दुख की बातें करते थे जब तक उन्हें नींद नहीं आती। आसपास के लोग भी दिन भर की कमाई प्राप्त कर कुछ पल के लिए नाच गाना कर लेते थे लेकिन इस कमाई से दमु खुश नहीं था। वह सभी के साथ रहता था लेकिन एक कोने में बैठकर कुछ ना कुछ सोचता था। ढीब दोस्तों के साथ नाच गाना करता था परंतु पीने से परहेज करता था। दमु से ढीब उतना छोटा नहीं था परंतु दोस्त से बढ़कर बड़े भाई के समान मानता था। दमु और ढीब की उम्र अभी पैंतालीस से पचास के आसपास की थी। दोनों का गाँव जादूगोड़ा के पास दामुकोचा गांव में था। साथ-साथ बीस-बाईस साल की उम्र से दोनों ने मजदूरी करना आरंभ किया।

दमु आशावादी था और उसका स्वप्न था कि पढ़-लिखकर कुछ बने। उनका गाँव जंगल के मध्य में है जहां आसपास कोई स्कूल नहीं था। पहाड़ों और कीचड़ों से भरे मैटमैले रास्तों से होकर बहुत दूर था राजदोहा मिडिल स्कूल। पहाड़ों से होकर दमु को स्कूल जाना होता था। दमु तीक्ष्ण बुद्धि का था और शिक्षक सब भी उससे काफी खुश थे लेकिन, भाग्य का लेख कौन जानता है! उसके पिताजी बैल-बकरियों को चराके एक दिन जब वापस आए तो अचानक से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और चारपाई में लेट गए। घर के लोगों ने माना कि संभाव्यता गर्मी से स्वास्थ्य बिगड़ गया होगा। दमु के पिताजी विश्राम के लिए लेटे परंतु उस विश्राम से कदापि उठ नहीं पाए। इस गहन दुख के समाचार से बोध आसपास गांव के लोग और रिश्तेदार आए, अंतिम कार्य को पूर्ण किया और घर में सबको ढांढस बंधाया।

इस अकस्मात मृत्यु से दमु के घर में आरंभ हो गया जीवन से संघर्ष करने का और एक नया अध्याय। दमु पर एकाएक ही परिवार का बोझ आन पड़ा और उसका पढ़ने का स्वप्न, स्वप्न ही रह गया। अब वह बैल-बकरियों को चराने के लिए ले जाता था, दादी माँ सूखे पत्तों से पत्तल बनाती थी और उसकी माँ रोजाना उनको बेचने मेले में जाती थी। उसकी माँ खेती के समय दूसरे लोगों के साथ खेत में मजदूरी करती थी। ऐसे ही उनका जीवन यापन हो रहा था।

समय बीतता गया और परिवेश भी बदल गया। उनके और आसपास सटे गाँव के लोगों ने मजदूरी हेतु अपने घरों को छोड़ गाँव से पलायन करना आरंभ कर दिया। दमु इन सबसे कैसे अछूता रहता। गहन चिंतन कर एक दिन अपनी माँ और दादी माँ से भविष्य की सोच विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए बैठ गया। दमु ने कहा – "बूढी मां! अपने पूर्वजों की जमीन को छोड़ कहीं और प्रस्थान करने की पहल करनी होगी। वैसे भी सब जा चुके हैं। मात्र गाँव के इस छोटे से हिस्से के कुछ लोग ही रह गए हैं। ढीब और उसके परिवार भी कहीं जल्द ही प्रस्थान करने वाले हैं। यहाँ से अतिशीघ्र पलायन करना ही अनुचित होगा क्योंकि यहाँ यूरेनियम के कारखाने से निकलती विषाक्त कचरे का पानी जंगलों से बहती नदियों को भी विषाक्त कर रही है और अब यह गाँव की सीमा तक पहुंच गया है। पानी के साथ हवा भी विषाक्त होकर बाहर निकल रही है। इन सब के

चलते इनके आसपास एक-आध घंटे व्यतीत करने से भी आम लोगों का स्वास्थ्य भी हमारे पिताजी जैसे अकस्मात ही खराब हो रहा है। अब तो उड़ने वाले पक्षियों के भी प्राण पखेरू उड़ रहे हैं। वहाँ आसपास के वृक्ष भी मृत हो गए हैं इसलिए गाय-बैल, बकरियों को चराने वाले भी उस ओर जाने से कतराने लगे हैं।"

कुछ क्षण रुक कर दमु ने कहा "दादी माँ! यहां का परिवेश काफी विषाक्त हो गया है। इसके फलस्वरूप यहाँ नवजात शिशु अपंग ही पैदा हो रहे हैं और कई तो जन्म के पहले ही मृत हो जा रहे हैं। बाकी तो स्वास्थ्य से संबंधित कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और जो शरीर से कमजोर हैं वह तो समय से पहले ही स्वर्गवासी हो रहे हैं।" चबूतरे में बैठ यह सब बातें सुन और सोच दमु की माँ के आँखों से आँसू की बूंदे टपकने लगी। दादी ने दमु की माँ के सर पर हाथ फेर कर कहा - आंसुओं को बहने मत दो, भगवान सदैव साथ है। उपाय निश्चय ही होगा। दमु की ओर देखकर दादी ने कहा - बेटा! ढीब के घर की ओर देखकर आओ, कौन-कौन है और जल्दी वापस आ जाना। दमु ने कहा –हाँ दादी माँ! देखकर अतिशीघ्र आ रहा हूं। फिर खड़े होकर दमु ने पूछा -कुछ कहना होगा क्या? बूढी माँ ने उत्तर दिया - "नहीं, सिर्फ देख कर आओ। अगर अभी भी घर में हैं, हम सब जाकर बातचीत करने जाएंगे।" दमु यूं गया और यूं आया और आते ही कहा - बूढी माँ! सब हैं वहां। बूढी माँ ने कहा - आओ सब वहां चलते हैं। चलो सब चले - यह कहकर दमु ने बूढी माँ और दादी को पकड़ा और सब चल पड़े।

ढीब के घर में चार जन रहते हैं - माँ, बाप, ढीब और ढीब की छोटी बहन। ढीब के घर पहुंच सब चबूतरे में बैठ गए। दमु की माँ ढीब के पिताजी के ओर देखकर कहा -"सब कुछ तुम पर ही निर्भर करता है। हम तो दिशाहीन हैं। गाँव के लोग तो सब छोड़ कर जा रहे हैं मजदूरी के लिए। यहाँ अब गाँव में रहना तो भयावह हो गया है।" ढीब के पिता ने कहा-हाँ! यहां समीप में मेरे पहचान के लोग हैं; पंच और प्रमुख के पास जाकर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

गंतव्य और निकलने का समय निश्चित हो गया। मिट्टी से बने घर में अस्थाई तौर पर रहकर लगभग सब सामान को एक-दो दिन में नई जगह पर पहुंचा दिया गया। अंतिम दिन में जब आखिरी सामान बाँध और बैलगाड़ी में लाद के सब बाहर निकलने वाले थे, घर के पूजा स्थान में नमस्कार कर हाटा में भगवान के पूजा-सामग्री को सफेद कपड़ों में बांध के दमु की बूढी माँ ने कहा "पूर्वजों को सोचकर बेटा, इस जगह से तीन कुदाल उतनी मिट्टी को खोद के निकालो, इसे हाटा में रखो और जहाँ हम रहेंगे वहाँ पर पूर्वजों के नाम पर घर के एक कोने में इस मिट्टी को रखेंगे। इस मिट्टी को गोबर से पोत के रोज एक लोटा पानी से साफ करेंगे।" यह सब कह के आँखों में आंसू लेकर पूर्वजों की जन्मभूमि छोड़ नई जगह में आश्रय के लिए और नई जिंदगी की खोज में बूढी माँ बाकियों के साथ रवाना हो गई।

दमु और ढीब राज्य में मजदूरी कर रहे थे। आरंभ में मुसाबनी तांबा कारखाने में काम किया, कुछ रोज कोयला खदान में काम किया, कंपनी में भी नौकरी की, ईटा-भाटी और सड़क का भी काम किया। कुछ रोज से यह सब काम कम होने लगे तो अलग-अलग राज्यों में जाने लगे। चार-पाँच महीने के बाद पर्व के अवसर पर गाँव आना होता था। दमु ने पढ़ाई लिखाई की थी। समय निकालकर पुराने अखबारों से समाचार पढ़ लेता था। मन में काफी प्रश्न उमड़ते थे इसलिए बीच-बीच में ढीब से पूछता था। अभी भी दमु के मन में कई प्रश्न थे। ढीब भी समझ रहा था दमु की अंतर्मन की बात।

अनायास ही ढीब बोल उठा "हम तो मजदूरी करने वाले लोग हैं और क्या कर सकते हैं? जिन लोगों, नेताओं के पास बोलचाल की स्वतंत्रता है वह कुछ नहीं बोल रहे है। अपनी मीठी बोली में फंसा लेते हैं परंतु हम लोगों की हक की बात कभी भी नहीं करते हैं।" दमु ने कहा- हां! बात तो सच कही। कौन कहेगा हम लोग की बात ? हम आदिवासी, इस स्थान के पहले निवासी और हम अभी भी नीचे हैं। सह रहे हैं अत्याचार, हमारा शोषण करने के लिए नए-नए कानून बना रहे हैं। हम इन सब को समझ नहीं पा रहे हैं। भारत देश स्वाधीन हो गया है परंतु हम स्वाधीन हो नहीं पाए। हम अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ पाए और जिस राज्य में हमें रखा गया, वहां भी आदिवासियों की कोई पहचान नहीं रही। आज से कई दशक पहले पूर्वजों ने कभी इतनी गरीबी नहीं देखी होगी। कभी इतने गरीब नहीं थे। अगर हमारे पूर्वज शिक्षित होते, हम भी औरों की तरह सब क्षेत्र में आगे होते और हम अपने हक की बातें कर सकते थे।"

ढीब ने सहमति में सर को हिलाते हुए कहा - सही बात कहा दमु भैया! दमु ने कहा - देश के स्वाधीनता के उपरांत जो राज्य बने, वहाँ रह रहे लोगों के हिसाब से ही राज्य का निर्माण हुआ। हम लोगों को यहाँ-वहाँ धकेला गया। अभी का राज्य अगर उसे समय प्रदान किया गया होता उसे समय से ही हम लोगों का राज होता और अभी की गरीबी की स्थिति ना होती। ढीब ने कहा – हाँ, दमु भैया! उसी समय से घर-घर में संथाली लिपि का

संचालन होना चाहिए था। राज्य की मिट्टी में इतने सारे खनिज संपदा है परंतु बड़ी-बड़ी कंपनियां हमारे जमीनों से सब खनिज संपदाओं को खोद-खोद के ले जा रही है और इसके फलस्वरूप कितने ही उद्योगपति संपन्न हो गए हैं। हम अभी भी गरीब मजदूर दिन-रात उनकी मजदूरी कर खनिज संपदाओं को उनके लिए खोद रहे हैं, उनसे ही वह लोग धन अर्जित कर रहे हैं और हम गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं।"

गहरी सांस लेते हुए दमु ने कहा- दोस्त! उतना पढ़ाई-लिखाई कर नहीं पाया परंतु जन्मभूमि और अपने आदिवासी भाइयों की इस खराब स्थिति को देख मन में ठेस उत्पन्न होती है। कोई नहीं जो हमें देखकर सोचता हो, राज्य की मिट्टी तो सोने सम है। यहाँ कोयला, तांबा, लोहा, पत्थर, यूरेनियम, अभ्रक, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट डाल माइट, सोना, चांदी और ना जाने कितने ही खनिज पदार्थ हैं परंतु यहाँ के आदिवासी इतने गरीब हैं। हमारी जमीन से हमें विस्थापित कर हमारे जन्मभूमि से निकाल रहे हैं। हम अपने ही हक के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कितने गाँव और गाँव के लोगों को ठगा गया। किसी भी कंपनी और सरकार के कर्मचारियों ने कभी सहायता प्रदान नहीं की। ढीब ने कहा - हाँ दमु भैया, हमें भी अगर समय में सही सहायता प्रदान होती तो हम सही स्थिति में होते। दमु ने कहा- खदान तो खोद रहे, बाँध भी बना रहे और वहां से भी हमें भगा रहे। कुछ मुट्ठी भर मदद दे-देकर हमें गरीबी में जीवन यापन करने को विवश किया जा रहा है। अभी हमारे लिए बने राज्य में हमारे लिए भी कोई कार्य नहीं। हम सब काम के लिए तैयार हैं और मजदूरी कर रहे हैं। माँ और बाकी सब भी मजदूरी कर रहे हैं। हम सबकी इस स्थिति को कौन देखेगा और कौन हमारे जैसे गरीब लाचार लोगों की बात सुनेगा?

हम अपने पूर्वजों के जमीन से ऐसे ही विस्थापित होते रहे हैं और ऐसे ही विस्थापित होते रहेंगे। बातें करते-करते दोनों के मुँह मानो सूख से गए। बहुत देर चुपचाप रहे। पूर्वजों की जमीन को सोच आँखों में मानो अश्रु आ गए। दोनों की सोच मानो वातावरण में प्रतिबिंबित होने लगी "अपने पेट को भरने के लिए हे भगवान! हमें कहाँ ले जा रहे हो? पूर्वजों ने खोदी थी मिट्टी, काटा था जंगल और पूर्वजों ने तोड़ी थी पत्थर। पूर्वजों की इस जमीन को कैसे हम रखें? पूर्वजों की इस जमीन को कैसे हम रखें?"

-सेवानिवृत्त प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

मैं इतवार हूँ साहब

मैं इतवार हूँ साहब,
मैं इंतजार करता हूँ साहब,
कुछ अपने अपनो का,
कुछ अधूरे सपनों का।

किसी ने सच ही कहा है,
पुराना समय ही अच्छा था,
दिन के घंटे तो इतने ही थे,
पर मन सबका अच्छा था।
मैं इतवार हूँ साहब,
मैं इंतजार करता हूँ साहब।

सब मिलते थे दिल खोल कर,
हंसते थे दिल खोल कर,
पूछते थे फिर वो हाल ए दिल
बयां करते थे वो भी
सब हाल खुल कर।
मैं इतवार हूँ साहब,
मैं इंतजार करता हूँ साहब।

आते थे मेहमान खुशियां लेकर,
सारे गाँव का हाल चाल लेकर,
साथ में आती थी कुछ मिठाइयां,
और जाते थे सबको थोड़ी
मायूसी देकर।
मैं इतवार हूँ साहब,
मैं इंतजार करता हूँ साहब।

बात तो एकदम सोलह आने सही है,
समय उतना ही है पर
किसी के पास नहीं है
युवा पीढ़ी व्यस्त है अपने आप में,
उन पर तो खुद के लिए ही
वक्त नहीं है।
मैं इतवार हूँ साहब,
मैं इंतजार करता हूँ साहब,

काश वो वक्त फिर लौट आए,
सब अपने अपनो से मिलने आए,
मिटाकर सब गिले शिकवे सारे,
फिर से वही प्यार जगाए।
मैं इतवार हूँ साहब,
मैं इंतजार करता हूँ साहब,

पर ऐसा तो न हो पाएगा,
बीता वक्त तो लौट न आएगा,
आने वाली पीढ़ी भी
कल यही दोहराएगी,
वक्त कल अच्छा था
ये फिर न आयेगा।
मैं इतवार हूँ साहब,
मैं इंतजार करता हूँ साहब,

-विपिन कुमार, अधिकारी
महाप्रबंधक सचिवालय (मा.सं.वि.)
कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली

माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री स्वरूप कुमार साहा के कर कमलों से

शाखा शुभारंभ

चाँदखेड़ा, अहमदाबाद

वटवा, अहमदाबाद

दीमापुर बर्मा कैंप, नागालैंड

वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था

बिन्नी गुप्ता

वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ समानताएं और अंतर हैं। दुनियाभर में और भारत में आर्थिक प्रणालियों की मुख्यतः एक समान अंतर है कि वे उदार और विकसित प्रणालियाँ हैं। दोनों जगहों पर विभिन्न विभाजनों, उत्पादन सेक्टरों और आर्थिक क्षेत्रों में विविधता है लेकिन भारत विकासशील देशों में एक अभिन्न स्थान रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी आर्थिक असमानता, कृषि सेक्टर की महत्वपूर्णता और बड़े आंकड़ों वाली जनसंख्या के कारण इसकी कुछ विशेष विशेषताएं हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में उच्च स्तर की उपस्थिति है जबकि भारत अभी भी इस मामले में कमजोर है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक सुरक्षित और स्थाई बनाने के लिए सरकारों को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश की आवश्यकता है। दुनिया और भारत की अर्थव्यवस्था एक अद्वितीय संबंध साझा करती हैं लेकिन उनमें योजनाएं और चुनौतियां भिन्न हैं जिन्हें सही दिशा में मोड़ने के लिए सकारात्मक प्रयासों की जरूरत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों ही विशाल और चरमपंथी हैं लेकिन उनमें कई समानताएं और विभिन्नताएं हैं। लेख में आगे, हम दोनों अर्थव्यवस्थाओं की समानताओं और असमानताओं को विस्तार से जानेंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना रहा है। भारत एक बड़ा और विविध देश है जिसमें अनेक भाषाएं, सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक सेक्टरों में विभिन्नताएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मुख्य चरित्र वृद्धि दर में दृढ़ता और वित्तीय समानता में असमानता है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं और प्रक्रियाएं समाहित हैं जो देश की आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करती हैं। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों और योजनाओं को लागू करके विकास की अनेक पहलुओं में सुधार किया है। आर्थिक सुधार, अधिक रोजगार और विभिन्न क्षेत्रों में नई उद्यमिता के समर्थन में कदम उठाने का प्रयास किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशेष संवैधानिक और सांस्कृतिक समृद्धि का परिचायक है जिसमें विभिन्न तंतु, रंग-बिरंगी सांस्कृतिकता और आर्थिक प्रणालियां एक साथ मिलती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का उदय इतिहास से मिलता है जब व्यापार और व्यवसाय की जगह पर गाँधीजी की सर्वोदयवादी दृष्टि का परिचायक हुआ लेकिन आज भारत, वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य खिलाड़ी में से एक बन गया है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित मुद्रा और व्यवस्था के साथ एक अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है। भारत एक विविध और बड़े आकार की अर्थव्यवस्था है जो कृषि, उद्योग और सेवाएं समाहित करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहें है और यह आत्मनिर्भरता, डिजिटलीकरण और सामाजिक विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर का महत्व अधिक है क्योंकि यह देश की लगभग 60% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनोत्तर बनाए रखने में मदद करता है। यह देश की आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योग सेक्टर में भी भारत ने विकास की ओर कदम बढ़ाया है। उद्योगों ने नौकरियों को बढ़ावा दिया है और उत्पादों की मात्रा में वृद्धि की है। सौजन्य, तकनीकी उन्नति और अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों के माध्यम से भारतीय उद्योग अब विश्व बाजार में अपनी पहचान बना रहा है।

सेवा सेक्टर में भी वृद्धि देखी जा रही है, खासकर तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। आईटी, बैंकिंग, नौसेना और स्वास्थ्य सेवाएं महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत आ रही हैं जो देश को आधुनिक और सुरक्षित बनाए रखने में मदद कर रही हैं। यहाँ चरित्रित किए गए विभिन्न क्षेत्रों के अलावा, भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष बातें हैं जो इसे विश्व से अलग बनाती हैं। भारत में गहरी जनसंख्या, सामाजिक असमानता और

आर्थिक विभिन्नता के मुद्दे हैं जिन्होंने विकास की राह में बाधा पैदा की हैं। जनसंख्या के बढ़ते प्रमाण के साथ जुड़े हुए भारत को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज में सामाजिक असमानता के कारण, विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा नहीं है और यह एक बड़ी जनसंख्या तक पहुंचाने में चुनौती पैदा करता है। आर्थिक विभिन्नता भी एक मुद्दा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौतीपूर्ण बनाता है। अर्थिक विभिन्नता के कारण धन का अनुपात बड़ा है और यह विभिन्न वर्गों के बीच में असमानता उत्पन्न करता है। यह समस्या विकास की गति को धीमी करती है और अधिकांश लोगों को आर्थिक लाभ से वंचित करती है।

अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भारत की पहचान तेजी से बढ़ रही है और यह एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। 'मेक इन इंडिया' अभियान और 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल के माध्यम से देश ने अपने आत्मसमर्थन की दिशा में कदम बढ़ाया है। तकनीकी और अभिवृद्धि के क्षेत्र में भारत अब विश्व नेतृत्व की दिशा में बढ़ रहा है जिससे उत्कृष्टता और नए आविष्कारों में योगदान में वृद्धि हो रही है। भारत में आर्थिक असमानता की समस्या भी है जिसमें विभिन्न वर्गों के बीच बड़े धन का अंतर होता है। यह असमानता, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां और असमंजस भी हैं लेकिन यह एक सकारात्मक मुकाबला कर रहा है और अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्थाई और तीव्र गति की ओर बढ़ रही है और यह एक सशक्त, समृद्ध और समृद्धि भरा भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रही है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बहुरूपी और घनिष्ठ नेटवर्क है जो विभिन्न देशों और क्षेत्रों को एक साथ बाँधता है। यह अनगिनत व्यापार, निवेश और वित्तीय गतिविधियों का केंद्र है जो दुनिया भर में हो रही हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार के माध्यम से देशों के बीच संबंध बढ़ते हैं और यह विभिन्न विधाओं में वित्तीय सहयोग भी प्रदान करती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अहम पहलू व्यापार और वित्त है जिसमें विभिन्न देशों के बीच वस्तुएं और सेवाएं विनिर्यात और आयात होती हैं। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें एक देश अपने उत्पादों और सेवाओं को विश्व बाजारों में प्रस्तुत करता है और उसी रूप में अन्य देशों के उत्पादों और सेवाओं को अपने बाज़ार में आता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंतरराष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्थाएं और संगठन विभिन्न देशों के बीच संबंध बनाए रखते हैं और आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में रुपये, डॉलर, यूरो जैसी मुद्राएं महत्वपूर्ण हैं जो व्यापार और निवेश को आसान बनाती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था वह विकास और संबंधों का विस्तार है जिसमें विभिन्न देश एक-दूसरे के साथ आर्थिक दृष्टि से जुड़े हैं। इस अद्भुत अंतरराष्ट्रीय वातावरण में विभिन्न अंगों की रूपरेखा व्यक्ति, समृद्धि और विकास की दिशा में बदल रही है। व्यापक रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में चुनौतियाँ और अवसर एक साथ मिलते हैं। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के बदलते संकेत यह सुनिश्चित करते हैं कि एक देश की स्थिति कैसे परिवर्तित हो सकती है। विश्व व्यापार और वित्तीय बाजारों में एक सशक्त अर्थव्यवस्था का होना महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के बीच व्यापार संबंध और वित्तीय उदारीकरण के माध्यम से, सशक्त अर्थव्यवस्था से विकास की क्रिया होती है।

वैश्विकरण की एक मुख्य विशेषता है कि एक देश की आर्थिक स्थिति उसके सीमाओं को पार करती है और विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनती है। इसका सीधा परिणाम है कि एक देश की आर्थिक स्थिति उसके साथी देशों के अनुसार प्रभावित हो सकती है और उम्मीद से भी अधिक अव्वल हो सकती है। इसी के साथ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकासशील और विकासहीन देशों के बीच संतुलन का भी महत्व है। सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सही उपायों की तलाश में विश्व समुदाय को साथ मिलकर काम करना होगा। विश्व अर्थव्यवस्था, अद्वितीय रूप से ऐसा जोड़ है जो सभी को साथ में बाँधता है। यह सबको मिलकर साझा विकास की दिशा में बढ़ने का एक माध्यम है ताकि हम सभी विकसित और समृद्धि भरा भविष्य बना सकें।

वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच कई अंतर भी हैं। जिस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था विभिन्न राष्ट्रों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय संबंध बनाती है, उसमें भारत की स्थिति अभी भी विकासशील देशों के साथ तुलना में कमजोर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में उच्च स्तर की नवाचार और प्रौद्योगिकी उन्नति को बढ़ावा मिलता है जबकि भारत इस क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा हुआ है। यह विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में विकास की गति में विभिन्नताएं पैदा करता है। वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था में समानताएं और विभिन्नताएं हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे से सीख रही हैं और सहयोग कर रही हैं ताकि एक सशक्त और समृद्ध

विश्व की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था ये दोनों ही आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और इनका तुलनात्मक अध्ययन हमें उनमें समानताएं और विभिन्नताएं समझने में मदद करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच के मुख्य संदर्भ, सामाजिक परिस्थितियां और आर्थिक क्षेत्र में सामान्य अंतर इस प्रकार से हो सकते हैं -

आर्थिक संरचना : वैश्विक अर्थव्यवस्था विशाल, घनिष्ठ और विविध है जिसमें विभिन्न देशों और क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था भी बड़ी है लेकिन यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में कम विकसित है।

सामाजिक परिस्थितियाँ : वैश्विक अर्थव्यवस्था में विभिन्न सामाजिक प्रणालियाँ और संस्कृतियाँ शामिल हैं जिससे एक बड़े और विविध समृद्धि का संचार होता है। भारत में समाज में जातिवाद, असमानता और गहरी सांस्कृतिक विविधता है जो आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं।

आर्थिक विभिन्नता : वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च तकनीकी उन्नति, बड़े व्यापार गतिविधियाँ और आपसी व्यापार के माध्यम से विश्व साथी देखने को मिलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति में कमी है लेकिन उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास देखा जा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में धन का अधिक बंटवारा है लेकिन कुछ देश अधिकतम धन के दृष्टिकोण से बड़े हैं जबकि अन्य देश इसमें कमजोर हैं।

रोजगार : वैश्विक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों की बहुसंख्यकता है जो विभिन्न देशों के बीच रोजगार का आदान-प्रदान करती है। भारत में रोजगार की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रही है।

हम देख सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक विशाल नेटवर्क है जो विभिन्न देशों को आर्थिक दृष्टिकोण से जोड़ता है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी स्वाभाविक विविधता के साथ विकसित हो रही है।

यह समाज, रोजगार और आर्थिक सेक्टर में नौकरियों की उपलब्धता के प्रश्नों का सामना करती है जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार, निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उच्च स्तर पर समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर यह भी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बड़े और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने स्वदेशी योजनाओं और स्थानीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्थाएं अपने विशिष्ट स्वभाव, आदिकालीनता और विकास के क्षेत्र में अपनी अनूठी पहचान रखती हैं लेकिन उसमें समरसता की भावना भी व्यक्त हो सकती है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बहुसंख्यक दुनिया में सभी देशों के आर्थिक संबंधों का समृद्धि और संवर्द्धन का क्षेत्र है। यह विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय संबंधों के माध्यम से जुड़ी होती है। इसमें विभिन्न अनुष्ठान और संगठन शामिल हैं जैसे कि व्यापार संगठन, वित्तीय संस्थाएं और अंतरराष्ट्रीय सरकारें। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों की समृद्धि स्तर अलग हो सकती है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित होने वाले देश की श्रेणी में आती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ग्लोबल व्यापार, वित्तीय बाजारों की संवेदनशीलता और राजनीतिक प्रणालियों का विस्तार एक प्रमुख विशेषता है। इसके विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थानीय उत्पादों का महत्व है और यह सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखती है।

समरूपता का एक और पहलू यह है कि दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं अब एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उनका प्रभाव एक दूसरे पर हो रहा है। हालांकि इनमें अंतर है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष और समझौतों का मैदान है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी विशिष्ट चुनौतियों का स्वयं समाधान तलाश रही है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था तकनीकी और उद्यमिता में अग्रणी है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इन विभिन्नताओं के बावजूद दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे के साथ मिलकर सुनिश्चित कर सकती हैं कि आधुनिक विकास में समृद्धि हो और सभी क्षेत्रों में सामरिक और सामाजिक सुधार मजबूत हो। समरूपता में दोनों अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक-दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। इनमें से प्रत्येक का अपनी विशेषता और विकल्पों के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्थ होना महत्वपूर्ण है।

-अधिकारी
आंचलिक कार्यालय गुरुग्राम

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024

08 मार्च, 2024 को बैंक के किदवई नगर, दिल्ली स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री स्वरूप कुमार साहा की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक डॉ. रामजस यादव सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय तथा कार्यकारी निदेशक महोदय ने इस अवसर पर उपस्थित महिला कार्मिकों को संबोधित किया।

बैंक के स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज रोहिणी, दिल्ली में प्रधानाचार्या श्रीमती बिंदु जी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया।

੧ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

पी.एस.बी

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

PSB UnIC
You & I Connected
Mobile & Internet Banking Solution

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

वित्तपोषण हेतु पीएसबी योजना

रुफ टॉप सोलर (आरटीएस)

प्रधानमंत्री सूर्य घर द्वारा समर्थित योजना: मुफ्त बिजली योजना

ब्याज दर
7%* प्रतिवर्ष

₹ **6** लाख* तक ऋण

सरकारी **सब्सिडी** उपलब्ध

पुनर्भुगतान अवधि **10*** साल
6 माह की अधिकतम अधिस्थगन अवधि सहित

शून्य संपार्श्विक जमानत

शून्य प्रसंस्करण शुल्क

https://punjabandsindbank.co.in

e-mail: ho.customerexcellance@psb.co.in

1800 419 8300 (टोल फ्री)

हमारा अनुसरण करें @PSBIndOfficial